अध्याय–2

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के "अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण व परिचालन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का गठन 15 नवम्बर 2000 को विद्युत के उत्पादन, संचारण व आपूर्ति करने के लिए हुआ था। जनवरी 2009 में, सीएसईबी को विखंडित कर दिया गया तथा विद्युत उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसका निगमन 19 मई 2003 को हुआ था।

सीएसईबी ने जाँजगीर–चाँपा जिले में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफआर) ₹ 4.41 लाख की लागत में बनाने के लिए मेसर्स डेजीन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को नियुक्त किया (22 दिसम्बर 2004) जिसने अपना प्रतिवेदन फरवरी 2005 में प्रस्तुत किया। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के आधार पर सीएसईबी ने राज्य के जाँजगीर–चाँपा जिले के मड़वा ग्राम में कोल आधारित 2X500 मेगावाट ग्रीन फील्ड विद्युत परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी (मार्च 2005)। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार मड़वा में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए समर्थन के तथ्य निम्नवत हैः

i) व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार 2005–06 के दौरान 15,146.04 मिलियन यूनिट (एमयू) आवश्यकता के विरूद्ध 11,011.32 मिलियन यूनिट की उपलब्धता थी जोकि 2011–12 तक बढ़कर क्रमशः 31,527.24 मिलियन यूनिट तथा 33,945 मिलियन यूनिट हो जायेगी। अगले पाँच वर्षों के दौरान बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए संयंत्र की आवश्यकता महसूस की गई।
ii) एक अन्य विद्युत संयंत्र, भैय्याथान जो कि निर्माणाधीन था स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इसका निर्माण अनिश्चित हो गया है।
iii) पानी, रेल और सड़क मार्ग की आसान उपलब्धता।
iv) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी परियोजना स्थल की उपयुक्तता से सहमत है।

तदानुसार, सीएसईबी ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने के लिए मेसर्स डेजीन को ₹ 5.51 लाख की लागत पर नियुक्त किया (18 जुलाई 2005) जिसने अपना प्रतिवेदन मई 2006 में दिया। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) प्रतिवेदन बनाने के लिए मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (मेसर्स भेल) को ₹ 28.65 लाख की लागत पर नियुक्त किया गया (17 अगस्त 2005) तथा जनवरी 2007 में भेल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2005–06 के दौरान 18,834 मिलियन यूनिट की आवश्यकता के विरूद्ध 15,624.80 मिलियन यूनिट की उपलब्धता परिकल्पित की गयी जिसका 2011–12 तक बढ़कर क्रमशः 38,982 मिलियन यूनिट तथा 46,089.40 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया। डीपीआर व ईआईए प्रतिवेदन के आधार पर सीएसईबी ने परियोजना के कार्य प्रदान की प्रक्रिया को मंजूरी दी (जनवरी 2008)। डीपीआर के अनुसार विद्युत की अनुमानित आवश्यकता व उपलब्धता के विरूद्ध वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक स्थिति क्रमशः 18,908.53 मिलियन यूनिट व 18,767.58 मिलियन यूनिट थी। यह आवश्यकता व आपूर्ति के मध्य लघु अन्तराल को दर्शित करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड ने मुख्य संयंत्र (बॉयलर, टरबाइन व जनरेटर) का कार्य ₹ 2,256.91 करोड़ की लागत पर भेल को उन्ही तकनीकी वाणिज्यिक शर्तों के अधीन प्रदान करने का निर्णय लिया (मार्च 2008) जिस पर 2X500 मेगावाट ताप विद्युत गृह मौदा परियोजना के निर्माण के लिए नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा आदेश दिया था, जबकि भुगतान की शर्तें, परिसमापित क्षति, सुपुर्दगी अनुसूची व मूल्य भिन्नता सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें संशोधन के साथ अपनायी गयी थी (मार्च 2008)। 10 सितम्बर 2009 को भेल के साथ समझौता क्रियान्वित किया था। इसी प्रकार, मेसर्स बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (बीजीआर) को अगस्त 2009 में ₹ 1,633.71 करोड़ की लागत पर संयंत्र निर्माण का सहायक कार्य (डिमिनरलाइज्ड वॉटर प्लांट, कूलिंग टॉवर, कोल हैंडलिंग प्लांट एवं ऐश हैंडलिंग प्लांट) प्रदान किया गया।

डीपीआर के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 5,119.84 करोड़ थी। परियोजना को 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण होना था जबकि, यह परियोजना तीन वर्ष आठ माह के अतिरिक्त समय तथा 31 मार्च 2019 तक ₹ 3,772.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत सहित 31 जुलाई 2016 को पूर्ण हुई। परियोजना का नाम बाद में परिवर्तित कर (सितम्बर 2018) ''अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस)'' कर दिया गया।

मड़वा विद्युत संयंत्र की दोनों इकाई चालू होने के बावजूद भी कम्पनी विद्युत उत्पादन के न्यूनतम लक्ष्य 850 मेगावाट (85 प्रतिशत पीएलएफ) प्रति घंटा को प्राप्त करने में विफल रही और सिर्फ 575 मेगावाट प्रति घंटा विद्युत उत्पादन कर सकी। 2016–19 के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, अतिरिक्त जनरेटर ट्रॉंसफार्मर की अनुपलब्धता तथा कोयले की घटिया गुणवत्ता थी जिसके कारण दोनों इकाईयों का प्रदर्शन खराब था।

संगठनात्मक संरचना

2.2 कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) के पास निहित है, जिसमें राज्य शासन द्वारा नियुक्त पाँच निदेशक शामिल हैं। कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा किया जाता है, जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी है जिनकी सहायता कार्यकारी निदेशकों (ईडी), मुख्य अभियंताओं (प्रत्येक स्टेशन का प्रमुख), और अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जाती हैं। संयंत्र के कार्यों के संचालन के लिए मुख्य अभियंता (उत्पादन) एबीवीटीपीएस जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या:

- परियोजना की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी थी कि परियोजना को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था।
- परियोजना ने निर्धारित मानदण्डों/मानकों के अनुसार परिचालन दक्षता हासिल की।
- आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रभावी और पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र व लेखापरीक्षा पद्धति

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा में एबीवीटीपीएस (2X500 मेगावाट), मड़वा के ''सैद्धांतिक स्वीकृति (2004–05)'' से मार्च 2018 तक के परियोजना के परिचालन की योजना, निर्माण व परिचालन की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा पद्धति में कम्पनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी), और एबीवीटीपीएस द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच शामिल थी। लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जारी करना। परियोजना के तहत बनायी गयी सम्पत्तियों का कम्पनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र व पद्धति को विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को 10 जनवरी 2019 को सूचित किया गया था, किन्तु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण प्रवेश सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन को मई 2019 में प्रतिवेदित किया गया था। निर्गमन सम्मेलन प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ 15 मई 2019 को आयोजित की गयी थी। शासन का उत्तर नवम्बर 2019 में प्राप्त हुआ था। निर्गमन सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त विचारों तथा शासन के उत्तरों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन द्वारा किये गये सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करती है।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- तापीय विद्युत गृह के निर्माण एवं परिचालन के संबंध में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के दिशानिर्देश/मानक/आदेश तथा ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) व छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के निर्देश;
- बीओडी के मिनिट्स और एजेन्डा पेपर, व्यवहार्यता प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रूपरेखा विनिर्देश, परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची, निविदा दस्तावेज, समझौते, निर्माण विभाग (डब्ल्यूडी) मैनुअल; और
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानक।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

आगामी कंडिकाओं में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा की गयी है।

नियोजन

2.6 इस भाग में, पूर्व कार्यान्वयन गतिविधियों की योजना में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा की गई है:

नियोजन में पायी गई गतिविधि वार कमियों की चर्चा अग्रांकित कण्डिकाओं में की गयी है:

व्यवहार्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

2.6.1 किसी परियोजना की वैचारिकता के बाद, व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार की जाती है। इसमें उचित स्थान अध्ययन, वैधानिक मंजूरी पर टिप्पणियाँ, तापीय विद्युत गृह का आकार, उपयोग किये जाने योग्य तकनीक, अनुमानित लागत, वित्तीय विश्लेषण और परियोजना की निवेश स्वीकृति इत्यादि शामिल है। इसके बाद, परियोजना की डीपीआर तैयार की जाती है।

मेसर्स डेजीन प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार) द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन (फरवरी 2005) व डीपीआर (मई 2006) बनाया गया था जो कि सबसे कम निविदा के आधार पर चुना[1] गया था, जिसके लिए सीमित निविदाओं को आमंत्रित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि डीपीआर को मई 2006 में बनाया गया था जबकि ईआईए प्रतिवेदन को मेसर्स भेल[2] द्वारा जनवरी 2007 में बनाया गया था। जबकि, इसे डीपीआर का भाग होना चाहिए था।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि उपलब्ध भूमि की प्रकृति व्यवहार्यता प्रतिवेदन/डीपीआर में सही ढंग से कल्पित नहीं की गयी थी, भूमि अधिग्रहण में निम्नानुसार त्रुटियाँ थी जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के कार्य क्षेत्र के अनुसार, सलाहकार द्वारा मानचित्रों का डेस्क–टॉप अध्ययन किया जाना था। स्थल के चयन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, सीएसईबी के अधिकारियों और सलाहकार की संयुक्त टीम ने तीन स्थानों[3] का दौरा किया और मड़वा स्थल का चयन किया। तदानुसार, सलाहकार ने डीपीआर बनाया। डीपीआर के अनुसार 80 प्रतिशत भूमि बंजर व 20 प्रतिशत कृषि भूमि थी। हालांकि, कम्पनी ने भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया और न ही भूमि के राजस्व रिकार्ड का सत्यापन किया। कम्पनी ने कुल 1,728.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जिसमें से सिर्फ 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) भूमि बंजर थी तथा शेष 1,444.96 एकड़ (83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। इन तथ्यों का सत्यापन[4] लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व विभाग के लेखों से तीन दिनों में किया गया (अप्रैल 2019)। इसे प्रारंभ में ही मुख्य अभियंता (सिविल–परियोजना 1) द्वारा किया जा सकता था। परिणामतः पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) के 15 प्रकरण, भू–विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, काम रोको, तालाबंदी हुए जिससे परियोजना कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कुल अधिग्रहित भूमि 1,766.60 एकड़ थी जिसमें से 790.04 एकड़ बंजर थी अतः बंजर व कृषि भूमि का वास्तविक अनुपात 44.72:55.28

---

[1] दिसम्बर 2004 में व्यवहार्यता प्रतिवेदन बनाने के लिए और जुलाई 2005 में डीपीआर बनाने के लिए।
[2] कार्य प्रदाय लागत ₹ 28.65 लाख था
[3] मड़वा, जरवे और कुरदा
[4] ग्रामीणों/निजी व्यक्तियों से अधिग्रहित भूमि।

था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने सभी सरकारी भूमि को बंजर माना है यद्यपि उसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था। अतः कृषि व बंजर भूमि का अनुपात 83.59:16.41 था।

- इसी प्रकार, एफआर/डीपीआर/ईआईए प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कोई भी वन भूमि नहीं थी। जबकि, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कम्पनी को 282.57 एकड़ वन भूमि मूल्य ₹ 9.58 करोड़ की अधिग्रहित करनी पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक वनीकरण के लिए 175.93 एकड़ वन भूमि के अधिग्रहण में तीन वर्ष छः माह का विलंब हुआ यद्यपि, इसका संयंत्र की स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परियोजना के लिए चिन्हित भूमि वन भूमि थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एफआर/डीपीआर/ईआईए प्रतिवेदन बनाने के दौरान कम्पनी वन भूमि चिन्हित करने में विफल हुई।

- छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (8 सितम्बर 2006) के अनुसार कम्पनी को सरकारी भूमि एक रूपये के नाममात्र लागत पर प्रदत्त किया जाना था। कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन से 755.63 एकड़ सरकारी भूमि अर्जित किया। जबकि, जिला प्रशासन ने 10 गाँवों में से दो गाँवों[5] की जमीन को ₹ 7.01 करोड़ में प्रदान किया जबकि शेष गाँवों की जमीन को नाममात्र की दर पर प्रदान किया। अधीक्षण अभियंता (भूमि अधिग्रहण), एबीवीटीपीएस ने भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ की तथा इसे कम्पनी के मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना) ने अनुमोदित किया। कम्पनी के अनुरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा इस राशि को वापस नहीं किया (मई 2019) जिसके कारण उपभोक्ताओं पर परिहार्य अतिरिक्त बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2018) कि भूमि के लागत की वापसी की प्रक्रिया प्रगति पर है।

- जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) ने 977.66 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया, जिसने भूमि आबंटन के दो मामलों[6] में एक वर्ष से अधिक का असामान्य समय आवेदन प्राप्त होने के बाद से आदेश देने के लिए लिया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आदेश देने के बाद भूमि अधिग्रहण में विलंब परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार न करने के कारण हुआ।

उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित मामले पर जवाब नहीं दिया गया है क्योंकि लेखापरीक्षा ने भूमि अधिग्रहण के लिए आदेश पारित करने से पहले के विलम्ब पर आक्षेप किया है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करते समय (5 फरवरी 2008) यह निर्देश दिया था कि इस परियोजना से संबंधित किसी भी उपयोगिताओं/सुविधाओं के लिए 1,254.76 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जबकि, मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना) ने उक्त पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 1,254.76 एकड़ की सीमा के विरूद्ध कुल 1,728.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (अप्रैल 2017 तक)। जो निर्धारित सीमा से 38 प्रतिशत अधिक थी जिसके लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा जिसके

[5] तागा और पौना गाँव

[6] लच्छनपुर और मड़वा में क्रमशः 145.52 एकड़ और 18.91 एकड़।

कारण भी अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे परिणामस्वरूप परियोजना की लागत ₹ 63.32 करोड़ से बढ़ गयी थी। ऐसी परिस्थिति में एमओईएफ एण्ड सीसी मंजूरी को रद्द कर सकता है लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि एबीवीटीपीएस के लिए कुल अधिग्रहित भूमि मूल रूप से उक्त परियोजना के तहत विस्तार इकाईयों को सम्मिलित करने के विचार के साथ की गयी थी। इस प्रकार, वर्तमान 1,000 मेगावाट एबीवीटीपीएस परियोजना के लिए 1,201.58 एकड़ भूमि तथा शेष भूमि संयंत्र के विस्तार वाले इकाई के लिए अधिग्रहित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि यह पश्चविचारित प्रतीत होता है क्योंकि कम्पनी ने न तो डीपीआर में और न ही एमओईएफ एण्ड सीसी से स्वीकृति के समय संयंत्र के भविष्य में विस्तार के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा, कम्पनी ने आधिक्य भूमि अधिग्रहण के लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई स्वीकृति नहीं ली।

अनुशंसा:

कम्पनी को भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही से पहले हमेशा भूमि के विस्तृत सर्वेक्षण का निर्धारण और क्रियान्वयन करना चाहिए। कम्पनी उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने पर भी विचार कर सकता है जो भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने में असफल रहे।

अनुबंध प्रबंधन

2.7 अनुबंध प्रबंधन में निविदाओं को आमंत्रित करना, निविदाओं का मूल्यांकन, अनुबंध के नियमों और शर्तों को तय करना, कार्य आदेश प्रदान करना तथा अनुबंध के नियमों और शर्तों को लागू करना शामिल हैं। कम्पनी ने इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (इपीसी) अनुबंध आधार पर बीटीजी और बीओपी अनुबंध से संबंधित ₹ 3,890.62 करोड़[7] मूल्य के दो मुख्य अनुबंधों को क्रियान्वित किया। कार्य प्रदान करने में, नियमों तथा शर्तों को समावेश करने व अनुबंधो के नियमों तथा शर्तों के उल्लंघन में पायी गयी कमियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार द्वारा अनियमितता

2.7.1 कम्पनी के अध्यक्ष ने पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) की अनुमोदित विक्रेता सूची में से सीमित निविदा के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में मेसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेंटस प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स डीसीपीएल) को ₹ 13.99 करोड़ की कुल लागत पर कार्य प्रदान करने का अनुमोदन दिया (अगस्त 2008)।

मेसर्स डीसीपीएल के कार्य का मुख्य क्षेत्र बीटीजी और बीओपी ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों, नक्शा/रूपरेखा की स्वीकृति/समीक्षा, गुणवत्ता निगरानी व आश्वासन, पर्यवेक्षण, परीक्षण और संयंत्र उपकरणों की स्थापना तथा परियोजना की अवधारणा से पूर्णता तक निगरानी थी।

सलाहकार के कार्यों में निम्नांकित त्रुटियाँ थी:

सामग्री की त्रुटिपूर्ण विशिष्टता की स्वीकृति के कारण वे–ब्रिज की स्थापना नहीं हुई

2.7.1.1 मेसर्स बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (मेसर्स बीजीआर) को प्रदत्त कार्य के

[7] बीटीजी निर्माण – ₹ 314.91 करोड़, बीटीजी आपूर्ति – ₹ 1,942 करोड़, बीओपी निर्माण – ₹ 691.86 करोड़, बीओपी आपूर्ति – ₹ 941.85 करोड़

अनुसार, उन्हें नैला रेलवे स्टेशन से संयंत्र प्रांगण तक रेलवे अधोसंरचना द्वारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) से प्राप्त कोयले को तौलने के लिए इन–मोशन वे–ब्रिज की आपूर्ति करनी थी। मेसर्स बीजीआर ने 52 किलोग्राम/मीटर रेल के लिए इन–मोशन वे–ब्रिज की डिजाइन मेसर्स डीसीपीएल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जिसकी स्वीकृति मेसर्स डीसीपीएल ने बिना यह जाँच किए दे दी (मार्च 2012) कि रेल नेटवर्क की डिजाइन 60 किलोग्राम/मीटर रेल के अनुरूप तैयार की गयी है। तदानुसार, मेसर्स बीजीआर ने 52 किलोग्राम/मीटर रेल इन–मोशन वे–ब्रिज की आपूर्ति कर दी (अगस्त 2012)। इन–मोशन वे–ब्रिज की विशिष्टताओं में असंगति होने के कारण इसकी स्थापना अभी तक (मई 2019) नहीं हो सकी। इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता (फ्युल प्रबंधन) भी पर्यवेक्षण के अभाव में मेसर्स डीसीपीएल के द्वारा स्वीकृत त्रुटिपूर्ण विशिष्टता को जानने में विफल रहा। वह इन–मोशन वे–ब्रिज की जल्दी स्थापना करवाने के लिए इसकी खरीदी के मामले को मजबूती से अनुसरण करने में भी विफल रहा। यह उल्लेखनीय है कि इन–मोशन वे–ब्रिज की लागत मात्र ₹ 20 लाख थी तथा कम्पनी ने वर्ष 2016–19 की अवधि के दौरान ₹ 1,681.52 करोड़ मूल्य का कोयला प्राप्त किया किन्तु यात्रा के दौरान नुकसान हुए कोयले को सुनिश्चित करने के लिए इसे नहीं मापा जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यात्रा में कोयले के नुकसान के लिए 0.50 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इन–मोशन वे–ब्रिज की स्थापना हो गई है तथा कमीशन प्रगति पर है।

तथ्य यह है कि वे–ब्रिज की स्थापना में विलंब के कारण तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त कोयले को नहीं मापा जा सका।

₹ 19.71 करोड़ की शास्ति की वसूली न होना

2.7.1.2 नेचूरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर (एनडीसीटी)[8] एक अर्ध बंद उपकरण है जो हवा से संपर्क के द्वारा पानी को वाष्पीकरण के माध्यम से ठण्डा करती है। कूलिंग टॉवर का मुख्य कार्य कंडेनसर से अतिरिक्त गर्मी को वातावरण में मुक्त करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि तकनीकी विशिष्टता के अनुसार मेसर्स बीजीआर को एनडीसीटी में 16 ऑटोमेटीक वाल्वलेस ग्रेविटी (एवीजी) फिल्टर लगाना था किन्तु जनवरी 2019 तक सिर्फ छः एवीजी फिल्टर लगाये गये थे। आवश्यक संख्या में एवीजी फिल्टर नहीं लगाये गये थे अतः आवश्यक मानक तापमान अर्थात 33 डिग्री सेंटीग्रेड बनाये नहीं रखा जा सका। परिणामस्वरूप मार्च 2016 से दिसम्बर 2018 (इकाई–1) की अवधि के दौरान कूलिंग टॉवर से निकासी जल का तापमान मानक से अधिक 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.89 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तथा फरवरी 2017 से नवम्बर 2018 (इकाई–2) की अवधि के दौरान तापमान 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। कम्पनी ने एनटीपीसी को निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण करने के लिए तीसरे पक्षकार के रूप में नियुक्त किया (7 अप्रैल 2017)। कूलिंग टॉवर का पीजी परीक्षण ग्रीष्म माह के दौरान करने के स्थान पर अक्टूबर 2018 में कराया गया इससे पीजी परीक्षण का उद्देश्य असफल हुआ तथा कूलिंग टॉवर के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी इसे सलाहकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया परिणामतः

[8] एनडीसीटी प्रवेश द्वारों के माध्यम से हवा को प्रवेश कराने वाली बड़ी ठोस चिमनी है। बेसिन से लगभग 10 मीटर ऊपर स्प्रे नलिका के माध्यम से गर्म पानी को टॉवर में लाया जाता है। स्प्रे जोन का मुख्य कार्य टॉवर में समान रुप से पानी वितरीत करना है। पानी स्प्रे जोन से छोटी–छोटी बून्दों में परिवर्तित होकर नीचे तेजी से गिरती है। यह उष्मा हस्तांरण के लिए अत्यधिक क्षेत्र बढ़ा देती है।

कूलिंग टॉवर से निकासी जल का तापमान बनाए रखने में विफल रहे थे। कार्यकारी निदेशक (पीआरजी 1) कार्य आदेश (एलओए)[9] के अनुसार ₹ 19.71 करोड़[10] का जुर्माना लगाने में अब तक (मई 2019) विफल रहा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पीजी परीक्षण मेसर्स एनटीपीसी के द्वारा किया गया था और परीक्षण प्रतिवेदन इस बात की पुष्टि करता है कि कूलिंग टॉवर अनुबंध दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के साथ–साथ उक्त कूलिंग टॉवर के डिजाइन की विशेषताओं का पूर्णता अनुपालन कर रहे हैं।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पीजी परीक्षण अक्टूबर 2018 में किये गये थे और कूलिंग टॉवर के निकासी जल का तापमान गारंटी तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर था। जबकि, अनुबंध के अनुसार इसे सभी मौसमों में एक समान होना चाहिए था जिसमें यह विफल रहा। अतः अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से ₹ 19.71 करोड़ का जुर्माना वसूला जाना था।

ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब

2.7.1.3 मेसर्स डीसीपीएल ने ड्राइंग[11] के समीक्षा/अनुमोदन के लिए एक माह से 15 माह का समय लिया जिसके परिणामस्वरूप कार्य क्रियान्वयन में विलंब हुआ।

बीओपी और बीटीजी अनुबंध की नियमों व शर्तों में त्रुटियाँ

2.7.2 निर्माण विभाग नियमावली, छत्तीसगढ़ शासन ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी सामग्रियों के विरूद्ध अग्रिम को प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित मूल्य के 75 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करता है। इस तरह के अग्रिमों की वसूली प्रत्येक अनुगामी चल देयकों से की जायेगी, यह वसूली सम्पन्न कार्य/मद में उपभोग की गयी सामग्री की सीमा तक की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी ने बीओपी अनुबंध के अधीन सामग्री की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्रदान करने की 75 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के विरूद्ध 90 प्रतिशत के नियमों व शर्तों को स्वीकार कर लिया और अनुबंध मूल्य की सिर्फ 10 प्रतिशत को ही वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तथा पीजी परीक्षण के लिए रखा। कम्पनी ने संयंत्र के वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पहले ही देय राशि ₹ 706.39 करोड़[12] के विरूद्ध एक बड़ी राशि ₹ 847.67 करोड़[13] का भुगतान किया। परिणामतः ठेकेदार ने समय पर कार्य को पूर्ण करने में बहुत कम रूचि दिखायी क्योंकि परियोजना के निर्धारित पूर्णता दिनांक (नवम्बर 2012) तक 40.37 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

इसी प्रकार, बीटीजी अनुबंध के भुगतान के नियम व शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी के विरूद्ध 15 प्रतिशत का ब्याज मुक्त प्रारंभिक अग्रिम, आपूर्ति के लिए प्रेषण के प्रमाणक के विरूद्ध 60 प्रतिशत प्रगतिशील भुगतान, स्थल पर सामग्री प्राप्त होने के विरूद्ध

---

[9] 33 डिग्री सेंटीग्रेड के गारंटी तापमान के ऊपर प्रत्येक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके भाग वृद्धि के लिए ₹ 35 लाख

[10] ₹ 12.07 करोड़ (प्रत्येक 0.2 डिग्री सेन्टीग्रेड के लिए ₹ 35 लाख x 6.9) इकाई–1 के लिए और ₹ 7.64 करोड़ (प्रत्येक 0.2 डिग्री सेन्टीग्रेड के लिए ₹ 35 लाख x 4.37) इकाई–2 के लिए।

[11] सीएचपी भवन के लिए लाइटिनिंग प्रोटेक्शन नक्शा, फायर वाटर पम्प हाउस फूटिंग ले आउट, टीजी भवन में वेन्टिलेशन फैन/एयर कंडिशन प्लांट का नक्शा और आईडी सिस्टम फाउन्डेशन प्लान से संबंधित।

[12] ₹ 941.85 करोड़ x 75 प्रतिशत

[13] ₹ 941.85 करोड़ x 90 प्रतिशत

20 प्रतिशत, सीओडी पर 2.5 प्रतिशत और प्रत्येक इकाई के लिए निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पर 2.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। जबकि, कम्पनी ने स्थल पर सामग्री की प्राप्ति पर 75 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के विरूद्ध 95 प्रतिशत भुगतान किया और सीओडी व पीजी परीक्षण के लिए अनुबंधित कीमत का सिर्फ 5 प्रतिशत ही रखा था और सीओडी के पूर्व ही देय राशि ₹ 1,383.75 करोड़ के स्थान पर ₹ 1,752.75 करोड़ के बड़ी राशि का भुगतान किया। परिणामतः ठेकेदार ने कार्य को समय में पूरा करने के लिए बहुत कम रूचि दिखायी क्योंकि परियोजना पूर्णता की निर्धारित तिथि (नवम्बर 2012) तक 36.82 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि मेसर्स भेल से कार्यों को निर्बाध पूर्वक क्रियान्वयन कराने की सुविधा को ध्यान में रखकर 60 प्रतिशत प्रगतिशील भुगतान जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने मेसर्स भेल को स्थल पर सामग्री पहुँचाने के विरूद्ध 95 प्रतिशत का भुगतान जारी किया। अतः भुगतान की बड़ी राशि सीओडी के पूर्व ही जारी कर दी गयी थी, और ठेकेदार ने परियोजना को पूरा करने में कम रूचि दिखायी क्योंकि उसे लाभ का बड़ा भाग पहले ही मिल गया था। इसके कारण भी परियोजना को पूर्ण करने में विलंब हुआ।

अनुशंसाः

कम्पनी को चाहिए कि वह अपनी भविष्य की परियोजनाओं में अग्रिम जारी करने के संबंध में अनुबंध के नियमों व शर्तों का निर्धारण करते समय अपने वित्तीय हित की रक्षा करें।

मेसर्स भेल को ब्याज मुक्त अग्रिमों का भुगतान

2.7.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आदर्श मानदण्ड दिशानिर्देशो के अनुसार अग्रिम ब्याजयुक्त होना चाहिए और वसूली समय आधारित होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी ने अन्य अनुबंधों में ठेकेदारों को ब्याजयुक्त अग्रिम प्रदान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी ने एबीवीटीपीएस परियोजना को वित्तपोषण करने के लिए मेसर्स पीएफसी से 31 मार्च 2018 तक ₹ 7,365.38 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। ब्याज की दर 9.90 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच थी। भुगतान की शर्तों के अनुसार, कम्पनी ने मेसर्स भेल को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 276.75 करोड़[14] (23 अप्रैल 2008) सामग्री की आपूर्ति के लिए ब्याजमुक्त अग्रिम के रूप में तथा निर्माण, परीक्षण व स्थापना के कार्यों के लिए ₹ 25.40 करोड़ (24 मार्च 2009) ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम के रूप में जारी किया। कम्पनी ने फरवरी 2009 से जून 2017 की अवधि के दौरान आपूर्ति के विरूद्ध दिये सभी अग्रिमों को मेसर्स भेल द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों से 3,347 किश्तों में और फरवरी 2018 तक 345 किश्तों में मोबिलाईजेशन अग्रिम को वसूल किया। विवेकपूर्ण व्यापार नीति के अनुसार, विक्रेता को ब्याज मुक्त अग्रिम देने से बचना चाहिए। पीएफसी से प्राप्त ऋण महंगा होने के कारण, कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल को ब्याज युक्त अग्रिम प्रदान करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, मेसर्स भेल को अनुचित लाभ दिया तथा कम्पनी को ₹ 87.66 करोड़[15] की वसूली योग्य ब्याज की हानि हुई। यद्यपि, मोबिलाईजेशन अग्रिम

[14] अनुबंध के मूल्य का 15 प्रतिशत अर्थात ₹ 1,845 करोड़

[15] आपूर्ति अग्रिम ₹ 276.75 करोड़ पर ब्याज की हानि ₹ 76.14 करोड़ और मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹ 25.40 करोड़ पर ब्याज की हानि ₹ 11.52 करोड़ जो कि पीफसी से प्राप्त ऋण पर न्यूनतम ब्याज की दर 9.90 प्रतिशत की दर से आगणित की गई थी।

को कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किये गये थे, किन्तु परियोजना समय में पूर्ण नहीं हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में लेखापरीक्षा[16] के द्वारा इसी प्रकार की आपत्ति इंगित की गयी थी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि न तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और न ही कम्पनी के द्वारा सीवीसी के दिशानिर्देशों को अपनाया है। इसके अलावा, शासन ने कहा कि निविदाकारों को ब्याज मुक्त अग्रिम देने से कम्पनी को कम से कम कीमतें प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया में प्राप्त होती है। शासन ने यह भी कहा कि एनटीपीसी ने अपने मौदा परियोजना में अग्रिम प्रदान किया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि शासन/कम्पनी के इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं होने के कारण कम्पनी को एक अच्छी प्रथा के रूप में सीवीसी के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए था। इसके अलावा, शासन का यह उत्तर कि प्रतियोगी निविदा प्राप्त हुई तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मेसर्स भेल का चयन कम्पनी ने आपसी समझौते से किया था। इसके अलावा भी कम्पनी एनटीपीसी के मौदा परियोजना के नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रही, जिसमें एनटीपीसी ने मेसर्स भेल को ब्याज युक्त अग्रिम प्रदान किया था।

प्रतिशत अनुबंध की स्वीकृति

2.7.4 सीवीसी के आदर्श मानदण्ड दिशानिर्देशों के अनुसार सलाहकार का शुल्क मूल अनुबंध मूल्य पर तय किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में कम्पनी सलाहकार शुल्क को अनुबंध मूल्य तक सीमित करती है।

कम्पनी ने मेसर्स भेल को बीटीजी सिविल कार्यों तथा चिमनी निर्माण के संबंध में इंजीनियरिंग/कंसल्टेंसी और पर्यवेक्षण की कार्य लागत में अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत जोड़कर प्रदान किया (दिसम्बर 2008)। बीटीजी सिविल कार्य निर्माण व चिमनी के कार्य आदेश का मूल्य ₹ 180.10 करोड़[17] था और कम्पनी ने इसके विरूद्ध ₹ 19.18 करोड़ की मूल्य वृद्धि को सम्मिलित करते हुए ₹ 194.82 करोड़ का भुगतान किया। परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि पर पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा। यदि कम्पनी ने प्रतिशत अनुबंध के बदले में एकमुश्त (स्थायी/निर्धारित मूल्य) अनुबंध को अपनाया होता तो अतिरिक्त लागत के बोझ को रोक सकता था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीवीसी दिशानिर्देश न तो छत्तीसगढ शासन के द्वारा और न ही कम्पनी द्वारा अपनाए गये थे। शासन ने यह भी कहा कि कम्पनी ने सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य आदेश प्रदान किया, जो कि अन्य इसी प्रकार के आदेशों से तुलना किये जाने योग्य है और बीटीजी कार्यो के साथ–साथ अनुबंध के तहत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु सभी गंभीर प्रयास किये गये थे।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन/कम्पनी के इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं होने के कारण कम्पनी को एक अच्छी प्रथा के रूप में सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए था। इसके अलावा, शासन ने प्रतिशत अनुबंध की स्वीकृति के मामले में कोई उत्तर नहीं दिया।

---

[16] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ शासन की कंडिका 4.2.10.2

[17] बीटीजी सिविल कार्य का आदेश मूल्य ₹ 156.19 करोड़ + चिमनी आपूर्ति और निर्माण कार्य का आदेश मूल्य ₹ 23.91 करोड़ था।

अनुशंसाः

कम्पनी को सीवीसी के दिशानिर्देशों को आदर्श मानदण्ड मानते हुए लंबी पूर्णता अवधि वाले कंसल्टेंसी कार्यों का आदेश स्थिर मूल्य के आधार पर प्रदान करना चाहिए।

परियोजना का क्रियान्वयन

2.8 परियोजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित हैं, बाधाओं को दूर करने के लिये किये गये प्रभावी कार्य, परियोजना में उपयोग किये गये सामग्री के विभिन्न परीक्षणों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादित किये जा रहे कार्य अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुरुप हैं, विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित किये गये लक्ष्यों से यदि कोई विचलन है तो उसकी विधिवत् स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली गई है।

परियोजना शेड्यूल का माइलस्टोन से विचलन

2.8.1 संचालक मण्डल (बीओडी) ने मेसर्स भेल को नेगोसियेशन के आधार पर बीटीजी कार्य अवार्ड किया (मार्च 2008)। आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के बीटीजी पैकेज जिसका मूल्य ₹ 2,256.91 करोड़[18] था, के अवार्ड की अधिसूचना (एनओए) जारी हुई (अप्रैल 2008) तथा शून्य तिथि में परिवर्तन होने के बाद इकाई–1 तथा इकाई–2 का कार्य क्रमशः 30 सितम्बर 2012 तथा 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण/सीओडी किया जाना था। यद्यपि सामग्री की आपूर्ति की पूर्णता तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, कम्पनी ने मेसर्स बीजीआर को परियोजना के बीओपी पैकेज का कार्य जिसकी कुल लागत ₹ 1,633.71 करोड[19] थी, 30 महीने के निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु कार्य आदेश जारी किया (25 अगस्त 2009)। इस प्रकार, सभी बीओपी कार्य 24 फरवरी 2012 तक पूर्ण किये जाने थे।

परियोजना के प्रमुख लक्ष्य, इनके प्राप्ति तथा उनको प्राप्ति में विलंब (यदि कोई हो) तालिका–2.1 में दिया गया हैं।

तालिका–2.1: परियोजना के प्रमुख लक्ष्य का विवरण

स.क.	प्रमुख माइलस्टोन	इकाई–1			इकाई–2		
		लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	विलंब[20] (माह में)	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	विलंब (माह में)
बीटीजी कार्य							
1	बॉयलर निर्माण का कार्य प्रारम्भ	30.01.10	15.02.10	0	30.03.10	26.04.10	1
2	बॉयलर ढांचे का निर्माण अर्थात बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग	31.08.10	06.08.10	1	21.10.10	06.03.11	4
3	कंडेन्सर इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ	30.11.10	07.03.11	4	31.01.11	15.10.11	4
4	बॉयलर की हाईड्रोलिक टेस्टिंग	30.08.11	05.10.11	2	30.10.11	06.09.12	2
5	टीजी इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ	21.12.11	23.02.13	13	21.02.12	02.12.13	11
6	टीजी आईस फ्लाशिंग	28.12.11	14.02.13	1	28.02.12	29.03.14	4

[18] आपूर्ति ₹ 1,942 करोड़ तथा निर्माण हेतु ₹ 314.91 करोड़

[19] आपूर्ति ₹ 941.85 करोड़ तथा निर्माण हेतु ₹ 691.86 करोड़

[20] विलम्ब की गणना लक्ष्य की तिथि और वास्तविक तिथि के एक चरण से अगले चरण के बीच के अंतर के आधार पर की गई है।

	का कार्य प्रारम्भ						
7	बॉयलर का टेस्टिंग के लिए तैयार होना	30.01.12	14.01.13	2	30.03.12	08.05.14	0
8	बॉयलर में स्टीम ब्लोइंग करना	31.03.12	26.10.13	7	31.05.12	03.09.14	2
9	बारिंग गियर अर्थात टरबाइन जनरेटर को घुमाना	21.04.12	09.11.13	0	21.06.12	17.01.15	3
10	रोलिंग तथा सिंक्रोनाईजेशन	26.05.12	21.12.13	1	28.07.12	31.03.15	1
11	सीओडी	30.09.12	31.03.16	23	30.11.12	31.07.16	12
बीओपी कार्य							
1	डीएम वाटर की उपलब्धता	24.03.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.03.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण
2	कूलिंग टॉवर का तैयार होना	24.10.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.10.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण
3	कोल हेण्डलिंग प्लान्ट	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण
4	ऐश हेण्डलिंग प्लान्ट	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण
(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आँकड़े)							

तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना की इकाई–1 तथा इकाई–2 में क्रमशः 42 माह तथा 44 माह का विलंब हुआ। परियोजना की निगरानी प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर की जा रही थी जैसे कि कार्यस्थल पर परियोजना प्रबंधक, कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर कार्यकारी निदेशक/मुख्य अभियंता (पीआरजी 1), प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष द्वारा मुख्यालय स्तर पर परियोजना की प्रत्येक माह की कार्य प्रगति की समीक्षा सम्पूर्ण रुप से की गई। इसमें परियोजनाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई तथा उन्हें जवाबदेयता केन्द्र के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त के अलावा, छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग और भारत सरकार के ऊर्जा विभाग ने एबीवीटीपीएस परियोजना की मॉनीटरिंग की ताकि परियोजना की समयबद्ध रूप से पूर्णता सुनिश्चित हो। यद्यपि इन बैठकों का एबीवीटीपीएस परियोजना में होने वाले विलंब को रोकने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा क्योंकि इकाई–1 और इकाई–2 के निर्माण का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो सका। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पूर्व में सीएजी[21] द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब पर टिप्पणी करने के बाद भी, कम्पनी द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। समय अधिवृद्धि के मुख्य कारणों की चर्चा नीचे की गई हैः

अनुबंध के क्रियान्वयन में विलंब

2.8.1.1 एनओए (अप्रैल 2008) के उपवाक्य 10.0 के अनुसार, "एनओए जारी होने की तिथि से 28 दिनों के भीतर मेसर्स भेल द्वारा अनुबंध दस्तावेजों को तैयार करते हुये अंतिम रुप दिया जाना था जिसका प्रोफार्मा सीएसईबी को स्वीकार हो और जिसमें औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हो सकें"। मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) ने 10 सितम्बर 2009 को 16 माह (28 दिन को ध्यान में रखते हुये अर्थात 9 मई 2008 से) के असामान्य विलंब के पश्चात् अनुबंध क्रियान्वयन किया। विलंब होने के प्रमुख कारण कार्यक्षेत्र (बिल ऑफ क्वांटिटी) के अंतिमीकरण में देरी तथा अनुबंध के अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु नियमों एवं शर्तों के निर्धारण में देरी तथा बीटीजी सिविल कार्यों को कराने हेतु एजेंसी के चयन के अंतिमीकरण में देरी होना था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के क्रियान्वयन में विलम्ब होने का कोई प्रभाव परियोजना के क्रियान्वयन में नहीं पड़ा क्योंकि मेसर्स भेल ने अनुबंध क्रियान्वयन

[21] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ़ शासन की कंडिका क्रमांक 4.2.9.2

के पूर्व से ही विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया था।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं क्योकि अनुबंध की अनुपस्थिति के कारण आवश्यकता प्रमाण पत्र[22] जारी होने में 16 माह का महत्वपूर्ण विलंब हुआ जो कि मेसर्स भेल द्वारा आयातित सामग्री की आपूर्ति में विलंब का कारण बना तथा यह अगले चरणों के लक्ष्य को पूरा करने में हुये विलंब में भी योगदान दिया।

सामग्री की आपूर्ति में विलंब

2.8.1.2 बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर के संयोजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति का मूल्य ₹ 1,845 करोड़ था जिसकी आपूर्ति मेसर्स भेल द्वारा इकाई–1 तथा इकाई–2 के लिए क्रमशः जनवरी 2012 तथा मार्च 2012 तक की जानी थी। यद्यपि, निम्नलिखित कारणों से सामग्री की आपूर्ति में विलंब हुआ।

- आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी होने में विलंबः मेसर्स भेल के साथ अनुबंध के निष्पादन में 16 माह के विलंब होने के पश्चात्, आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। मेसर्स भेल ने प्रारम्भ में अपूर्ण/अहस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ आवश्यकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जिसे बाद में एक से नौ माह[23] के विलंब के साथ प्रस्तुत किया। जिन्हें मुख्य अभियंता (पीआरजी–1) ने एक से पाँच माह के विलम्ब से ऊर्जा विभाग को अग्रेषित किया, जिसके कारण दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे तथा ऊर्जा विभाग ने भी बाद में दो से आठ माह के विलंब से आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी किया जिसका प्रमुख कारण मुख्य अभियंता (पीआरजी–1) द्वारा ऊर्जा विभाग से इस संबंध में सतत् पत्राचार न करना था। इस प्रकार, मेसर्स भेल की विभिन्न इकाइयों[24] के लिए आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी होने में कुल तीन से 16 माह का विलंब हुआ।
- मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) द्वारा मेसर्स भेल, हरिद्वार को मटेरीयल डिस्पैच क्लीयरेंस सर्टिफिकेट[25] (एमडीसीसी) जारी करने में एक से पाँच महीने की देरी हुई, जिसका मुख्य कारण था, मेसर्स भेल द्वारा अधूरे दस्तावेजों का जमा करना जैसे परीक्षण प्रमाण–पत्र, पैकिंग पर्ची आदि और मेसर्स डीसीपीएल द्वारा सामग्री के अनुमोदन में देरी करना।
- मेसर्स भेल द्वारा अन्य परियोजनाओं को हस्तांतरित की गई सामग्री[26] को वापस प्राप्त करने में देरी होना जैसे कोरबा पश्चिम एक्सटेन्शन, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), कोडरमा, डीवीसी अंडल, भुसावल आदि। कम्पनी का निगरानी तंत्र एबीवीटीपीएस परियोजना के मामले में महत्वपूर्ण उपकरणों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संयंत्र के ठेकेदार के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आपूर्ति में विलंब के कारणों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है और अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। शासन ने आगे कहा कि आवश्यकता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए कम्पनी या मेसर्स भेल से

---

[22] आवश्यकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता विद्युत परियोनाओं हेतु आयातित सामग्री पर लगने वाली कस्टम डयूटी की रियायती दर को प्राप्त करने हेतु होती है।

[23] विलम्ब की गणना समझौता अनुबंध की तिथि अर्थात् 11 सितम्बर 2009 से की गई है न कि मेसर्स भेल द्वारा अपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये गये वास्तविक आवेदन की तिथि से।

[24] ईडीएन बैंगलोर, एचपीसीपी त्रिची, पाइपिंग सेंटर चेन्नई, एचईईपी हरिद्वार तथा हैदराबाद पम्पस

[25] एमडीसीसी कारखाने से परियोजना साइट पर सामग्री की निकासी का एक अधिकृत प्रमाण–पत्र है।

[26] बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की संयोजन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे आईडी फैन ब्लेड तथा मोटर, जनरेटर एक्साइटर, जेकिंग आईल पम्प आदि।

अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ने के कारण विलंब हुआ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त जानकारी के लिए लगे समय पर विचार करने के उपरान्त ही आवश्यकता प्रमाण–पत्र जारी करने में हुए विलंब की गणना की है इसमें आगे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

बीटीजी निर्माण कार्य अवार्ड करने और पूर्ण करने में विलंब

2.8.1.3 निगोशियेशन समिति की अनुशन्सा (मार्च 2008) के अनुसार, मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट) को संबंधित बीटीजी सिविल कार्यों[27] के लिए निविदा को अंतिम रूप देना था, यद्यपि वे ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण अभिलेखों में उल्लिखित नहीं थे। इसके बाद, उसी कार्य को मेसर्स भेल के कार्य में ही शामिल कर दिया गया (सितम्बर 2008), जिसके परिणामस्वरूप शून्य तिथि 11 अप्रैल 2008 से स्थानांतरित कर 31 दिसम्बर 2008 कर दी गई। आगे, मेसर्स भेल ने मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड, (बी एण्ड आर) को ₹ 156.19 करोड़ के कुल अनुबंध मूल्य पर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) की तिथि से 42 माह की निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु एलओआई जारी किया (24 अगस्त 2009)। यह कार्य पूर्ण रूप से 23 फरवरी 2013 तक पूरा किया जाना था। यद्यपि, बीटीजी सिविल कार्य 46 महीनों की असामान्य विलंब के साथ 31 दिसम्बर 2016 को पूरा किया गया जिसका प्रमुख कारण भूविस्थापितों द्वारा चरणबद्ध तरीके से 187 दिनों का विरोध, डीसीपीएल द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन में एक से नौ महीने का विलंब करना, अपर्याप्त जनशक्ति का लगाना, बीओपी ठेकेदार द्वारा साइट को उपलब्ध न करना और कम्पनी द्वारा मूल्य विचलन बिलों का भुगतान न करना।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि बीटीजी सिविल कार्य को अवार्ड करने में प्रक्रियात्मक देरी हुई जैसे कि सीमित प्रस्तावो को कॉल करना, उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथ्य यह है कि कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल को बीटीजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने में नौ महीनें की महत्वपूर्ण देरी हुई और बाद में मेसर्स भेल ने भी मेसर्स बी एण्ड आर को कार्य अवार्ड करने में चार महीने की देरी की। इसके अलावा, शासन का जवाब सिविल कार्यों के क्रियान्वयन में 46 महीने की हुई देरी के मामले में कुछ नहीं कहता है।

275 मीटर ट्विन फ्लू चिमनी के निर्माण कार्य को अवार्ड करने और पूर्ण करने में विलंब

2.8.1.4 मेसर्स भेल ने मेसर्स गैगन डनकर्ले एंड कम्पनी लिमिटेड (जीडीसीएल), कोलकाता को 275 मीटर उच्च प्रबलित सीमेंट कान्क्रीट (आरसीसी) ट्विन फ्लू स्टील लाइंड चिमनी के निर्माण का कार्य ₹ 24.81 करोड़ में अवार्ड किया (सितम्बर 2009) किन्तु बालको, कोरबा में जीडीसीएल द्वारा बनाई जा रही चिमनी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने (23 सितम्बर 2009) के कारण इसे रद्द कर दिया गया। मेसर्स भेल ने छह माह बीत जाने के बाद मेसर्स प्रसाद एंड कम्पनी, हैदराबाद को उक्त कार्य पुनः अवार्ड कर दिया (5 अप्रैल 2010) जो कि नवम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि यह कार्य 18 माह के असामान्य विलंब के साथ 30 अप्रैल 2014 को पूरा किया गया जिसका मुख्य कारण, मेसर्स भेल द्वारा प्लेन सीमेंट कान्क्रीट (पीसीसी) के लिए ड्राइंग उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण चिमनी रॉफ्ट की ढलाई में तीन महीने की देरी होना, चिमनी शेल की ढलाई में देरी के कारण छह महीने का विलंब होना और मेसर्स भेल द्वारा

[27] साईट लेवलिंग एवं ग्रेडिंग, पावर ब्लॉक के सिविल कार्य और इकाई 1 एवं इकाई 2 के लिए अन्य फाउन्डेशन कार्यों के लिए संरचनात्मक एवं वास्तुकला ढ़ाँचा से संबंधित कार्य।

चिमनी स्लैब ग्रेड ड्राइंग उपलब्ध न करा पाने के कारण चिमनी के स्ट्रक्चरल इरेक्शन में नौ महीने की देरी होना, भूविस्थापितों का विरोध तथा मेसर्स भेल द्वारा फ्ल्यू केन[28] और स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के लिए अनुभवी इंजीनियर उपलब्ध न करा पाना था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध के समापन के समय विलंब के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

बीओपी अनुबंधों के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को पूरा करने मे विलंब

2.8.1.5 मेसर्स बीजीआर के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार, बीओपी पैकेज के अंतर्गत डी–मिनरलाइज्ड (डीएम) वाटर की उपलब्धता, एनडीसीटी का निर्माण, ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी) तथा कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) जैसी विभिन्न गतिविधियाँ फरवरी 2012 तक पूरी की जानी थी, यद्यपि इन्हें निर्धारित समय से 63 महीने से 74 महीने के विलंब के साथ पूरा किया गया। बीओपी कार्यों को पूरा करने में हुए विलंब के मुख्य कारणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **पर्याप्त जनशक्ति का नियोजन न करना:** समझौते के अनुसार, मेसर्स बीजीआर को अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधनों का नियोजन करते हुए तीन शिफ्ट में काम कराना था, यद्यपि ठेकेदार ने 4,000 लोगों के नियोजन की जगह कार्यस्थल पर कम संख्या में जनशक्ति (1,800–1,900) नियोजित की, इस प्रकार, पूरे क्रियान्वयन काल में नियोजित की गयी जनशक्ति 50 प्रतिशत से भी कम थी। नियोजित किये गये उप–ठेकेदारों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से संसाधनयुक्त नहीं किया गया था।

- **ड्राइंग के अनुमोदन में देरी:** कन्सल्टेंट (मेसर्स डीसीपीएल) द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन में एक से 15 महीने का विलंब किया गया।

- **भूविस्थापितो का विरोध:** भूविस्थापितो द्वारा चरणबद्ध तरीके से किये गये कुल 187 दिनों के विरोध ने बीओपी कार्य के क्रियान्वयन को प्रभावित किया।

- **मेसर्स बीजीआर द्वारा भुगतान में देरी करना:** कम्पनी ने अनुबंध में निहित प्रावधान के अनुरूप मेसर्स बीजीआर के बिलों को प्रोसेस और पारित किया, यद्यपि, मेसर्स बीजीआर ने अपने सब–वेंडरो को भुगतान नहीं किया जिससे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- **क्रशर हाऊस में आग लगने की घटना का होना:** इकाई–1 को 23 जून 2015 को सीओडी के लिए कोयले से सिंक्रोनाइज़ किया गया था और लोड को 300 मेगावाट तक बढ़ाया गया था। यद्यपि, 14 जुलाई 2015 को कोल हैंडलिंग प्लांट के क्रशर हाऊस में आग लगने की घटना के कारण, इकाई–1 को सीओडी को निर्धारित समय अर्थात् अगस्त 2015 तक प्राप्त नहीं किया जा सका। यह पाया गया कि मेसर्स एलन इंजीनियरिंग, बीजीआर के सब–वेंडर के रूप में सीएसपीजीसीएल के मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) द्वारा अनुमोदित नही था और वेल्डिंग का कार्य बिना किसी पूर्व अनुमति के किया गया था। मेसर्स बीजीआर ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के लिए फायर डिटेक्टिंग एंड एक्सटींगिसिंग सिस्टम और सीसीटीवी

[28] फ्ल्यू केन एक डक्ट, पाइप या चिमनी में खुलता है जो कि फायर प्लेस, फर्नेस तथा बॉयलर से निकलने वाली गैस को बाहर की ओर निकालता है।

कैमरों को भी नहीं लगाया था। इसके अलावा, संयंत्र में जनशक्ति का आधिक्य[29] होने के बाद भी, कम्पनी ने मेसर्स बीजीआर द्वारा की जा रही अनाधिकृत गतिविधियों की निगरानी नही की। क्रशर हाऊस को सात महीने से अधिक समय के पश्चात 22 फरवरी 2016 को पुनः प्रारंभ किया गया था।

इस प्रकार, मेसर्स बीजीआर द्वारा महत्वपूर्ण सिविल कार्यों का धीमी गति से क्रियान्वयन करने के कारण ये कार्य संयंत्र की स्थापना होने तक पूरे नहीं किये जा सके थे जैसे तापीय संयंत्र के विभिन्न तलों का निर्माण, पम्प हाऊस में धूल सप्रेसन प्रणाली की स्थापना संबंधी कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट और एनडीसीटी के कार्य आदि। कम्पनी का निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इस तरह के कार्य समयबद्ध तरीके से कैसे की जाएँ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के समापन के समय उसके प्रावधानों के अनुसार मेसर्स बीजीआर के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही, कम्पनी ने आग लगने की घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की है।

मेसर्स भेल के साथ भुगतान संबंधी मामलों का निपटारा न होने के कारण इकाई–1 और 2 के कमीशन में विलंब

2.8.1.6 कम्पनी ने इकाई–1 और 2 की सीओडी क्रमशः फरवरी 2016 और मार्च 2016 में करने का निर्णय किया था (9 फरवरी 2016)। तदानुसार, कम्पनी ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कमिशनिंग इंजीनियरों की नियुक्ती हेतु मेसर्स भेल से अनुरोध किया, किन्तु मेसर्स भेल ने ₹ 65 करोड़ के बकाया का भुगतान न हो पाने के कारण पर्याप्त कमिशनिंग इंजीनियरों को नियुक्त नहीं किया। कम्पनी द्वारा ₹ 32 करोड़ का भुगतान कर देने का आश्वासन देने के बाद, मेसर्स भेल ने इंजीनियरों को नियुक्त कर दिया। अन्ततः, एक महीने के विलंब के बाद 31 मार्च 2016 को इकाई–1 की सीओडी हो गई।

इसी तरह, लंबित भुगतान के मामले[30] का निपटारा न होने के कारण, मेसर्स भेल ने इकाई–2 की सीओडी से पहले इकाई–2 की सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नियोजित नहीं की। परिणामस्वरूप कम्पनी मार्च 2016 में इकाई–2 की सीओडी नही कर सकी। कम्पनी द्वारा किये गये सशक्त पत्राचार के बाद, मेसर्स भेल ने पर्याप्त जनशक्ति नियोजित की और इस तरह चार महीने के विलम्ब के बाद 31 जुलाई 2016 को इकाई–2 की सीओडी हो सकी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल के भुगतान को रोकने का निर्णय परियोजना के क्रियान्वयन के हित में था।

तथ्य यह रहा है कि कम्पनी द्वारा भुगतान न करने के कारण इकाई–1 और इकाई–2 की सीओडी में क्रमशः एक और चार महीने का विलंब हुआ।

संयंत्र के स्थापना में विलंब का प्रभाव

2.8.2 इकाई–1 एवं इकाई–2 का वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 निर्धारित थी, जबकि इकाई–1 एवं इकाई–2 की

---

[29] 2011–12 से 2016–17 की अवधि के दौरान श्रेणी –1 (कार्यपालन अभियंता से कार्यकारी निदेशक) के अधिकारी 1.34 प्रतिशत से 75.75 प्रतिशत के मध्य रहे, श्रेणी –2 (सहायक अभियंता) के अधिकारी 42.86 प्रतिशत से 295.45 प्रतिशत के मध्य रहे तथा श्रेणी –3 (कनिष्ठ अभियंता) के अधिकारी 30.33 प्रतिशत से 173.12 प्रतिशत के मध्य रहे।

[30] दोनों के बीच मूल्य विचलन के भुगतान पर सहमति न होने के कारण।

वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन 31 मार्च 2016 एवं 31 जुलाई 2016 को पूर्ण हुआ। वाणिज्यिक परिचालन में विलंब के कारण उत्पादन हानि, पीएफसी ऋण पर छूट, समता पर प्रत्याय, उच्च दरों पर विद्युत की खरीदी एवं निर्धारित कार्य पूर्ण तिथि पश्चात ब्याज की चर्चा नीचे की गई है:

एबीवीटीपीएस के स्थापना में अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप 16,440.07 मिलियन यूनिट उत्पादन हानि हुई।

- एबीवीटीपीएस, मड़वा की इकाई–1 एवं 2 के वाणिज्यिक परिचालन तिथि में क्रमशः 42 एवं 44 महीने की विलंब हुई, यदि इकाई–1 एवं इकाई–2 निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाती, तो वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान इकाई–1 एवं 2 के औसत उत्पादन के आधार पर कम्पनी 16,440.07 मिलियन यूनिट उत्पादन से ₹ 4,438.82 करोड़ राजस्व अर्जित कर सकती थी। इस प्रकार, इकाई–1 एवं इकाई–2 के निर्धारित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि में विलंब के परिणामस्वरूप कम्पनी को उत्पादन हानि हुई। यह उल्लेखनीय है कि सीएजी[31] द्वारा इस मामले को उजागर करने के बावजूद, संयंत्रों की स्थापना समय पर करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं की गयी।

  शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीएजी प्रतिवेदन जारी होने के पूर्व बीटीजी एवं बीओपी कार्य का आदेश दिया जा चुका था। इसलिए यह एबीवीटीपीएस के लिए उपयुक्त नहीं है।

  उत्तर उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कण्डिका संख्या 4.2.9.1 में लेखापरीक्षा ने यह उजागर किया कि परियोजना की स्थापना में विलंब के कारण उत्पादन हानि जो कि कार्य आदेश देने से संबंधित नहीं है।

- प्रचलित नीति के अनुसार, पीएफसी उत्पादन परियोजनाओं के लिए ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की छूट परियोजना के प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से देती है (अगस्त 2007)। इकाई–1 की स्थापना में 42 माह की विलंब के कारण कम्पनी ₹ 17.95 करोड़ की छूट से वंचित हो गयी।

  शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परियोजना निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना ग्रीन फील्ड परियोजना थी और इसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, भू अर्जन, सहायक संरचना, पानी की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दे शामिल थे।

  उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि संयंत्र निर्माण हेतु 307.75 एकड़ भूमि कार्य आदेश देने (अप्रैल 2008) के पूर्व अधिग्रहित किया था (मार्च 2008) एवं सहायक सरंचना जैसे रेल संरचना उपलब्ध कराने में विलंब का परियोजना के पूर्ण होने में कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि मुख्य संयंत्र एवं बीओपी कार्य निर्धारित तिथि पर पूर्ण नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, भू–विस्थापितों के हड़ताल के कारण परियोजना मात्र 187 दिनों के लिए प्रभावित हुआ था।

- सीएसईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ निर्धारण की शर्तें एवं स्थितियाँ) नियमन, 2010 की उपवाक्य 22.2 के अनुसार यदि कोई परियोजना अप्रैल 2010 या उसके बाद स्थापित होती है, तो ऐसी परियोजना के लिए 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रत्याय की अनुमति होगी यदि ऐसी नयी परियोजना अपने कार्य आरंभ तिथि से 44 माह के भीतर पूर्ण हो जाती है। परियोजना का निर्धारित समय पर पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप समता पर प्रत्याय के रूप में

[31] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ़ शासन की कंडिका संख्या 4.2.9.1

₹ 3.16 करोड़[32] की हानि हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीएसईआरसी बहुवर्षीय टैरिफ नियमन 2010 की अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सीएसईआरसी प्रावधान के अनुसार 44 माह के स्थान पर इकाई–1 एवं इकाई–2 को कार्य आरंभ तिथि से 45 एवं 47 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि इकाई–1 के लिए सीएसईआरसी बहुवर्षीय टैरिफ नियमन को हासिल करने के लिए कम्पनी ने लक्षित निर्धारित कार्य पूर्ण अवधि को एक माह कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इकाई–2 के लिए नियमन 6 माह की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देती है जो कि निर्धारित कार्य पूर्ण अवधि के भीतर था। किन्तु कम्पनी परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं कर सकी।

- परियोजना को वर्ष 2012–13 में स्थापित किया जाना था। किन्तु, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) द्वारा निजी क्षेत्रों से उच्च दरों पर विद्युत खरीदी क्योंकि कम्पनी सीएसपीडीसीएल के साथ विद्युत क्रय अनुबंध की थी। इसके परिणामस्वरूप 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान सीएसपीडीसीएल को विद्युत क्रय के लिए ₹ 315.92 करोड़[33] की अतिरिक्त लागत आयी जो कि उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दी गई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विद्युत कमी को पूरा करने के लिए सीएसपीडीसीएल ने विद्युत प्रति इकाई दर ₹ 2.55 से ₹ 3.56 की सीमा में क्रय की। यह भी कहा कि क्रय की गयी विद्युत की दरें एबीवीटीपीएस की उत्पादन लागत से कम थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी के द्वारा मड़वा परियोजना को समय पर पूर्ण न करने के कारण सीएसपीडीसीएल निजी क्षेत्रों से विद्युत खरीदी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के भाग में परियोजना की लागत अधिक हो जाने के कारण डीपीआर में अनुमानित प्रति इकाई लागत ₹ 1.96 एवं ₹ 1.73 की सीमा के विरूद्ध एबीवीटीपीएस की उत्पादन लागत बढ़कर ₹ 4.16 प्रति इकाई हो गई।

- परियोजना के पूर्ण होने में विलंब के कारण निर्धारित कार्य पूर्ण तिथि से वास्तविक कार्य पूर्ण तिथि की अवधि के लिए कम्पनी को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) ₹ 1,317.60 करोड़[34] की परिहार्य हानि हुई।

एबीवीटीपीएस की स्थापना में विलंब के कारण लागत बढ़ोत्तरी के रूप में कम्पनी ने ₹ 3,772.67 करोड़ अतिरिक्त व्यय किये।

लागत में बढ़ोत्तरी

2.8.3 परियोजना के पूर्ण होने में विलंब के कारण, परियोजना के अनुमानित मूल लागत ₹ 5,119.84 करोड़ के विरूद्ध 31 मार्च 2019 तक कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय ₹ 8,892.51 करोड़ (सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित लागत) थी और कम्पनी द्वारा ₹ 3,772.67 करोड़ अतिरिक्त व्यय किये। लागत बढ़ाने वाले सहायक घटक जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया है:

---

[32] ₹ 6,317.70 करोड़ × 10 प्रतिशत पूंजी × 0.50 प्रतिशत

[33] (डीपीआर और वास्तविक प्रति इकाई दर में अंतर) × क्रय की गई विद्युत

[34] ₹ 2,994.54 करोड़ × 44 महीनें / 100 महीनें

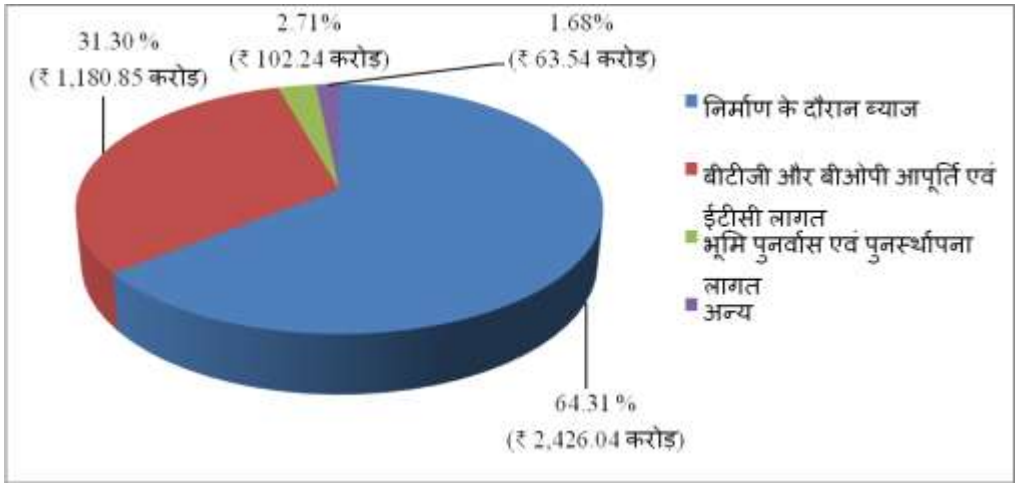

लागत बढ़ोत्तरी के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार थे:

पीएफसी ऋण पर निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) में वृद्धि

निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) ₹ 568.50 करोड़ (डीपीआर के अनुसार) से बढ़कर ₹ 2,994.54 करोड़ (अर्थात 426.74 प्रतिशत) हो गया। निर्माण के दौरान ब्याज बढ़ाने वाले कारणों की चर्चा नीचे की गयी है:

कम्पनी द्वारा पूँजी लगाने में असफल

2.8.3.1 कम्पनी के निर्णय के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत की व्यवस्था पूँजी (स्वंय स्रोत/पूँजी में राज्य सरकार का योगदान) से किया जाना था।

2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान, कम्पनी को परियोजना में 10 प्रतिशत पूँजी राशि के रूप में ₹ 418 करोड़ (2008–09) और ₹ 900 करोड़ (2017–18) की सीमा में लगाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि पीएफसी से ऋण लेने के पूर्व 10 प्रतिशत पूँजी लगाये जाना सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण पूँजी लगाने में कमी की सीमा ₹ 12.99 करोड़ (2013–14) और ₹ 458.19 करोड़ (2011–12) थी। पूँजी से 10 प्रतिशत निवेश करने के लिए कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने ऋण लिया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अतिरिक्त ब्याज भार ₹ 92.56 करोड़ वहन करना पड़ा।

यह भी पाया कि परियोजना की लागत को कम करने के लिए कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन से 2010–11 तक पूँजी राशि प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, छत्तीसगढ़ शासन को एक अनुरोध अगस्त 2011 के बाद किया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पीएफसी के ऋण स्वीकृत आदेश के अनुसार पीएफसी से ऋण लेने के पूर्व 10 प्रतिशत अग्रिम पूँजी लगाने की बाध्यता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विवेकीय व्यवसाय व्यवहार के अनुसार ऋण राशि एवं उस पर ब्याज भार को कम करने के लिए ऋण लेने के पूर्व धन की व्यवस्था स्वयं के साधनों से किया जाना था। किंतु अतिरिक्त ब्याज भार को टालने के लिए, कम्पनी ने न ही 10 प्रतिशत पूँजी लगाने के लिए धन उपलब्धता की निर्धारण करने की कार्यवाही की और न ही 2010–11 तक छत्तीसगढ़ शासन से पूँजी प्राप्त करने का प्रयास किया था।

कम्पनी का ग्रेडिंग निम्नत्तर होना

2.8.3.2 वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से पीएफसी राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों का परिचालन एवं वित्तीय कार्यान्वयन के साथ नियामकीय वातावरण और लेखापरीक्षित लेखों के मानदण्डों के आधार पर कम्पनियों का मूल्यांकन करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कर्मचारी लागत के संबंध में पूर्व वर्षों के वैधानिक प्रावधान के अनुपालन के कारण कम्पनी को वर्ष 2010–11 में हानि हुई जिसके कारण 16 फरवरी 2012 से 12 सितम्बर 2012 अवधि के दौरान कम्पनी का श्रेणी निर्धारण निम्नत्तर होकर ए+ से बी हुई जिसके लिए पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर कम्पनी पर लगाया। बाद में 13 सितम्बर 2012 से कम्पनी का श्रेणी निर्धारण बी से ए सुधार हुआ जो कि 6 अक्टूबर 2013 तक बना रहा। जिसके परिणामस्वरूप पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर घटाया। संयंत्र क्षमता का कम उपयोग करने के कारण वर्ष 2013–14 में कम्पनी को हानि हुई जिसके कारण 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 अवधि के दौरान पुनः कम्पनी के श्रेणी निर्धारण में ए+ से बी निम्नतर हुई, जिसके लिए पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया। परिणामतः कम्पनी को ₹ 18.01 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा साथ ही इसी सीमा तक एबीवीटीपीएस पर परिहार्य वित्तीय भार भी पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी को हानि मुख्यतः लेखांकन मानको के अनुपालन हेतु लेखों में वैधानिक प्रावधानों के किये जाने के कारण हुआ और 2013–14 में यह सीएसईआरसी के वास्तविक (ट्रू अप) आदेश और उत्पादन हानि के कारण हुई।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी को वर्ष 2010–11 के दौरान हानि पूर्व वर्षों के सेवानिवृति लाभों के लिए प्रावधान किये जाने के कारण हुई। जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी की हानि सीएसईआरसी के वास्तविक (ट्रू अप) आदेश को ध्यान में रखने के बाद भी कर के बाद लाभ नकारात्मक थी।

बीटीजी और बीओपी कार्यों की लागत में वृद्धि

2.8.3.3 बीटीजी आपूर्ति और निर्माण, परीक्षण और स्थापना (ईटीसी) कार्य की लागत बढ़कर ₹ 2,437.01 करोड़ (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार) से ₹ 2,666.91 करोड़ (अर्थात 9.43 प्रतिशत) हो गई। वृद्धि का मुख्य कारण संविदा अवधि में मूल्य परिर्वतन का भुगतान करना है।

इसी प्रकार बीओपी आपूर्त्ति और ईटीसी कार्य की लागत बढ़कर ₹ 1,902.05 करोड़ (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार) से ₹ 2,208.57 करोड़ (अर्थात 16.12 प्रतिशत) हो गई। वृद्धि का मुख्य कारण संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार मूल्य परिवर्तन के लिए ₹ 116.88 करोड़ और पहुँच सड़क निर्माण पर ₹ 1.42 करोड़ का भुगतान है। बाधारहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण पहुँच सड़क निर्माण पर परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़ के मामले की चर्चा नीचे की गई है।

पहुँच सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित किये बिना, कम्पनी ने सड़क निर्माण के लिए ₹ 2.34 करोड़ मूल्य का कार्य आदेश जारी किया (मई 2012)। बाधारहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण संविदा रद्द कर दिया गया (फरवरी 2013) उस समय तक ठेकेदार द्वारा ₹ 13 लाख मूल्य का कार्य किया था। तत्पश्चात, कम्पनी द्वारा पहले से ही खरीदी गई भूमि के लिए कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹ 2.01 करोड़ का

कार्य आदेश जारी[35] किया गया (मार्च 2014)। इसके अतिरिक्त, शेष भूमि के अधिग्रहण पश्चात् कम्पनी ने कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹ 1.75 करोड़ का एक अन्य कार्य आदेश जारी[36] किया (जून 2014)। यदि कम्पनी ठेका देने के पहले भूमि अधिग्रहण कर लेती, तो अतिरिक्त व्यय ₹ 1.42 करोड़ को टाला जा सकता था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य आदेश देने के समय पूर्ण भूमि नहीं ली जा सकी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया था। इसलिए पूर्व अनुबंध रद्द किया गया और नया ठेका प्रदान किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण की समस्या विस्तृत सर्वेक्षण किये बिना भूमि अधिग्रहित किये जाने के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़ हुआ।

भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एवं आर) की लागत में वृद्धि

2.8.3.4 डीपीआर में भूमि अधिग्रहण और आर एवं आर की लागत ₹ 71.66 करोड़ अनुमानित किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 174 करोड़ (अर्थात 142.81 प्रतिशत) हुआ जिसमें भूमि पर ₹ 125 करोड़ और आर एवं आर पर ₹ 49 करोड़ शामिल था। भूमि की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण अधिक मात्रा में भूमि अधिग्रहण, कृषि और बंजर भूमि के दर में भिन्नता और उच्च दर पर क्षतिपूर्ति भुगतान के कारण आर एवं आर के निपटारे पर अधिक व्यय था।

अनुशंसा:

समय और लागत में वृद्धि और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि को रोकने के लिए कम्पनी को बेहतर योजना, सटीक निगरानी और ठेकेदार और सलाहकारों के साथ उत्कृष्ट तालमेल द्वारा समयबद्ध रूप से तापीय विद्युत संयंत्र की क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

ठेकेदारों से परिसमापन क्षति का हर्जाना वसूल न करना

कम्पनी द्वारा परिसमापन क्षति वसूल न करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 339.31 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

2.8.4 यद्यपि ठेकेदारों ने निर्धारित तिथि से 42 और 44 महीने के विलंब से काम पूरा किया, किन्तु मेसर्स भेल द्वारा बीटीजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने तथा सामग्री की आपूर्ति में 13 महीने और मेसर्स बीजीआर द्वारा पर्याप्त जनशक्ति नियोजित न करने के कारण 16 महीने के किये गये विलंब के लिए अनुबंध में उल्लेखित परिसमापन क्षति (एलडी) का हर्जाना का वसूल नहीं किया। यह उल्लेख करना उचित है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक[37] द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद भी इससे कोई सबक नहीं लिया गया। इससे ठेकेदारों को ₹ 339.31 करोड़[38] का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विलंब विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है तथा उसे अंतिम रूप देने के बाद एलडी की प्रयोज्यता सुनिश्चित की जाएगी।

---

[35] मेसर्स आशा कन्स्ट्रक्शन, रायपुर

[36] मेसर्स शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स, कोरबा

[37] छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल और वाणिज्यिक) की कंडिका संख्या 4.2.9.1 में प्रतिवेदित।

[38] बीटीजी ठेका मूल्य ₹ 1,845 करोड़ (कर और शुल्क को छोडकर ठेका मूल्य) X 10 प्रतिशत= ₹ 184.50 करोड़ और बीओपी का ठेका मूल्य ₹ 1,548.09 करोड़ (कर और शुल्क को छोडकर ठेका मूल्य) X 10 प्रतिशत = ₹ 154.81 करोड़

अपूर्ण ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी) के साथ प्रोजेक्ट कमीशन किया गया

2.8.5 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) एक कण हटाने वाला उपकरण है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का उपयोग करके दहनशील उत्पादों से निलंबित कण को हटाता है। ईएसपी के अधिष्ठापन का कार्य मेसर्स भेल द्वारा किया जाना था।

प्रगति प्रतिवेदन (मार्च 2016) की जाँच से पाया कि सीओडी के बाद भी एएचपी का काम अधूरा रहा। चूँकि एएचपी पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए बॉयलर में उत्पन्न राख ईएसपी की क्षमता से अधिक होने के कारण ईएसपी आवरण के अंदर ही संचित हो गई। जिससे, इसका एक पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे नए पास से बदलने की आवश्यकता थी। मेसर्स भेल ने अनुबंध की शर्तों के आधार पर इस दोष को ठीक करने से मना कर दिया (जुलाई 2016), चूँकि यहाँ कम्पनी की गलती थी क्योंकि उसने एएचपी अपूर्ण होने के बाद भी संयंत्र चालू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप ईएसपी के प्रतिस्थापन/मरम्मत पर ₹ 4.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इकाई–1 और 2 की कमीशनिंग ईएसपी और ऐश हैंडलिंग सिस्टम के पूर्ण होने के बाद ही की गई थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सीओडी के समय पर, एएचपी कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था जो कि 1 मई 2017 को पूरा हुआ था।

अनुशंसा

कम्पनी को उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए सभी सुविधाओं को पूर्ण करने के बाद ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता का अनुपालन न होना

अनियमित पूर्व–परीक्षण

2.8.6 सीएसईआरसी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011 (ग्रिड संहिता 2011) प्रकाशित किया (दिसम्बर 2011)। इसके अनुसार पूर्व परीक्षण किया जाना होगा अर्थात जनरेटर का निरंतर 72 घंटे परिचालन। कम्पनी[39] ने इकाई–1 और इकाई–2 का सीओडी क्रमशः 31 मार्च 2016 के 00:00 घंटे और 31 जुलाई 2016 के 00:00 घंटे में घोषित किया। परियोजना के सीओडी के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएँ लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019):

सीएसईआरसी विद्युत ग्रिड संहिता 2011 के पालन किये बिना कम्पनी ने एबीवीटीपीएस का सीओडी घोषित किया।

- एबीवीटीपीएस की इकाई–1 निरंतर 15 मिनट की 108 खण्ड चली न कि निरंतर आवश्यक 72 घंटे की अवधि अर्थात स्थापित क्षमता के प्रत्येक 15 मिनट की 288 खण्ड।
- ग्रिड संहिता 2011 कुल मिलाकर चार घंटे अवधि की लघु अवरोध की अनुमति देती है और चार घंटे से अधिक होने पर पुनः परीक्षण परिचालन अथवा पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। जबकि, पूर्व परीक्षण अवधि के दौरान इकाई–1 और इकाई–2 में कुल अवरोध क्रमशः 173.25 घंटे और 14.25 घंटे की थी। कम्पनी ने न ही पुनः पूर्व परीक्षण किया और न ही इकाई–1 और इकाई–2 की क्षमता में कमी की।
- तापीय विद्युत उत्पादन गृह के इकाईयों को अपने स्थापित क्षमता (आईसी) के 105 प्रतिशत भार तक संचालित भी करना होगा। इकाई–1 की अधिकतम दर्ज क्षमता 505.02 मेगावाट (29 मार्च 2016 00:24:46 घंटे) और 504.38 मेगावाट

[39] मुख्य अभियंता (सी एवं सीपी) और कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) द्वारा क्रमशः इकाई–1 एवं इकाई–2 के लिए सीओडी घोषित किया।

(29 मार्च 2016 00:31:14 घंटे) थी। इस प्रकार, इकाई अपनी पूर्ण क्षमता पर कुल अवधि केवल 18 मिनट (अर्थात 00:31:14 घंटे और 00:13:37 घंटे का अंतर) चली। इकाई–2 केवल एक खण्ड (27 जुलाई 2016 को 04:30:00 घंटे) 502 मेगावाट पर चली। दोनों इकाईयाँ अपनी स्थापित क्षमता (आईसी) के 105 प्रतिशत भार तक नहीं चली।

- ग्रिड संहिता 2011 के अनुसार उत्पादन कम्पनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादन गृह अनिवार्य आश्यकताओं और ग्रिड संहिता 2011 के प्रावधानों को पूरा करती है, बीओपी सहायक क्रियाएँ[40] स्थापित कर लिया गया है और यह पूर्ण भार परिचालन में सक्षम है। कम्पनी ने सीओडी प्रमाणित नहीं की जैसा कि आवश्यक था। अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएँ जैसे टरबाइन संचालित बॉयलर फीड पम्प (टीडीबीएफपी) 2बी, हाईड्रोजन उत्पादन संयंत्र, अग्निरोधी प्रणाली, इफ्लूयेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), राख परिचालन संयंत्र, क्लोरिनीकरण प्रणाली और कोल परिचालन संयंत्र स्थापित नहीं किये थे।

- उत्पादन कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया जाना था और प्रमाणपत्र की प्रति संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव और संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को सीओडी घोषित करने के पूर्व प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु इकाई–1 और इकाई–2 की सीओडी के लिए प्रमाणपत्र क्रमशः मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक और निगम नियोजन) और कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) द्वारा हस्ताक्षर कर मुख्य अभियंता (एसएलडीसी) को प्रस्तुत किये थे। ग्रिड संहिता 2011 की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति सदस्य सचिव, पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति को प्रस्तुत किया जाना था किन्तु यह अभिलेखों में नही पाया गया।

- संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा उत्पादन आँकड़ें प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पूर्व परीक्षण के मंजूरी की सूचना अथवा पूर्व परीक्षण परिचालन में पाई गयी कोई कमियों की सूचना उत्पादन कम्पनी को देना आवश्यक था। किंतु आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा पूर्व परीक्षण परिचालन में ऊपर इंगित कमियाँ उत्पादन कम्पनी को सूचित नहीं किया गया था।

- ग्रिड संहिता 2011 के किसी प्रावधानों की अनुपालन न करने की स्थिति में विद्युत इकाई को प्रारम्भ न करने के लिए यद्यपि ग्रिड संहिता 2011 में आरएलडीसी को सशक्त किया है, किन्तु आरएलडीसी ने इकाई–1 और 2 की स्थापना का विरोध नहीं किया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इकाई–1 का पूर्व परीक्षण सीओडी घोषित करने के बाद किया था।

निर्मित परिसंपत्तियों जिसका उपयोग नहीं हो रहा है पर व्यय

मड़वा में अस्थायी बांध के निर्माण और संधारण पर ₹1.37 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ

2.8.7 कार्यपालन अभियंता (सिविल –1), एबीवीटीपीएस प्रोजेक्ट ने परियोजना के इनटेक पंप हाऊस के डाउनस्ट्रीम में हसदेव नदी के किनारे एक कॉफ़र बाँध बनाने का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2012), क्योंकि ट्रायल रन मार्च 2012 में किया जाना निर्धारित

[40] ईंधन तेल प्रणाली, कोल संचालन संयंत्र, गैर खनिजी संयंत्र, पूर्व उपचारित संयंत्र, अग्निरोधी प्रणाली, राख निस्तारण प्रणाली।

किया गया था। उक्त कार्य के लिये एलओए जारी[41] किया गया (मार्च 2012) और कार्य ₹ 28.58 लाख की लागत से पूरा हुआ (4 जनवरी 2013)।

कम्पनी की बीओडी ने ₹ 78.52 करोड़ जल प्रभार के रूप में बचाने के लिए ₹ 1.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर हसदेव नदी पर इनटेक पम्प हाऊस के पास एक अस्थायी मिट्टी के बाँध के निर्माण और तीन साल की अवधि तक इसके संधारण के लिए मंजूरी दी (जून 2013)। तदानुसार, उक्त बाँध के निर्माण और संधारण के कार्य के लिये निविदा आमंत्रित[42] की गई और ₹ 1.08 करोड़ पर कार्य अवार्ड किया गया (सितम्बर 2013)। यह कार्य 24 फरवरी 2014 को ₹ 1.08 करोड़ की लागत से पूरा हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2018) कि अस्थायी बाँधो के निर्माण के संबंध मे निर्णय लेते समय बॉयलर लाइट अप, टीजी बॉक्स अप, सिंक्रोनाइजेशन और सीएचपी जैसे प्रमुख कार्य अपूर्ण थे। उपर्युक्त कार्य पूरे न हो पाने के कारण इकाइयों के कमीशन में देरी हुई। अतः संयंत्र के कार्य को पूरा किये बिना सिंक्रोनाइज करने हेतु अस्थायी बाँधो के निर्माण का निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा अभिलेख नही मिला जो यह दर्शाता हो कि अस्थायी बाँधो से पानी लिया गया था। चूँकि 24 फरवरी 2014 को अस्थायी बाँध का निर्माण किया गया था और सीओडी मार्च 2016/जुलाई 2016 को हुई, अर्थात् अस्थायी बाँधो के निर्माण के समय प्रोजेक्ट का कार्य प्रगतिरत था, अतः इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। परिणामस्वरूप इसके निर्माण पर हुआ व्यय ₹ 1.37 करोड़ व्यर्थ हो गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पूर्व कमीशनिंग और परीक्षण गतिविधियों के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्थायी बाँधो के निर्माण और संधारण का प्रस्ताव लाया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पूर्व–कमीशन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति चौतरिया नाला से की गई थी और अस्थायी बाँध के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं थी।

ओवर हेड इलेक्ट्रीफिकेशन (ओएचई) कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण ₹ 68.76 करोड़ की रेलवे लाईन का उपयोग नही हो सका

2.8.8 कम्पनी ने मेसर्स राइट्स को परियोजना प्रबंधन सलाहकार का कार्य अवार्ड किया (मार्च 2008), जिसने छः पैकेजों में अन्य ठेकेदारों को रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया।

कम्पनी ओवरहेड इलेक्ट्रीफिकेशन कार्य पूर्ण न होने के कारण 9.37 कि.मी. रेलवे लाईन लागत ₹ 68.76 करोड़ का उपयोग नही कर सकी।

मेसर्स राइट्स द्वारा पैकेज IV के ओएचई कार्य के लिए मेसर्स ट्रैक्सन टावर्स को ₹ 10.46 करोड़ की लागत का कार्य प्रदान किया गया था (फरवरी 2009)। चूँकि, कम्पनी द्वारा बाधारहित कार्यस्थल सौंप दी गई थी (नवम्बर 2013)। तदानुसार, कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि जुलाई 2014 तक बढ़ा दी गई थी। ओएचई तार स्ट्रिंगिंग कार्य मई 2019 तक पूरा न होने के कारण ओएचई का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। रेलवे से साइट क्लीरियेंस मिलने में देरी के कारण ठेकेदार ने शेष कार्य को क्रियान्वित नहीं किया और कार्य को जल्द बंद करने का अनुरोध किया क्योंकि अप्रैल 2014 तक कार्य पूर्ण होना था, इस प्रकार, कम्पनी द्वारा रेल ओवर रेल (आरओआर) पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नही किया जा सका (मई 2019)।

कम्पनी ने दिसम्बर 2018 तक ₹ 183.19 करोड़ की राशि पहले ही खर्च कर दी थी। किन्तु ओएचई का शेष कार्य पूर्ण न होने के कारण कम्पनी को सिंगल लाईन अर्थात्

[41] कार्यकारी निदेशक (सिविल प्रोजेक्ट) के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता (सिविल)
[42] कार्यकारी निदेशक (सिविल प्रोजेक्ट)

भरे और खाली दोनों रेक के लिए वापसी लाईन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार, 24.96 किलोमीटर (किमी) की कुल रेलवे लाईन में से केवल 15.59 किमी रेलवे लाईन (अर्थात 62 प्रतिशत) का उपयोग कम्पनी द्वारा किया जा सकता है। इकाईयों की सीओडी होने के तीन वर्ष बाद भी, ₹ 68.76 करोड़[43] की लागत वाली कुल 9.37 किमी (38 प्रतिशत) रेलवे लाईन बिना उपयोग के बेकार पड़ी रही (मई 2019)।

अपूर्ण वायर स्ट्रिंगिंग कार्य

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भूमि अधिग्रहण में देरी, ग्रामीणों द्वारा हड़ताल और रेलवे द्वारा आरओआर के लिए ब्लॉक देने में देरी के कारण ओएचई कार्य में विलंब हुआ। शासन ने आगे कहा कि वर्तमान में ओएचई कार्य प्रगति पर है।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि भूमि का अधिग्रहण बिना किसी विस्तृत सर्वेक्षण के किया गया था और कम्पनी ने सीओडी तक रेलवे से ब्लॉक प्राप्त करने के लिए इस मामले में अधिक गम्भीरता नहीं दिखाई।

अनुशंसाः

कम्पनी को सिस्टम सिंक्रोनाइज़ करने के लिए निर्धारित समय के अंदर सभी संबंधित कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए।

स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली पर ₹ 2.99 करोड़ का निष्फल व्यय

2.8.9 मेसर्स राइट्स द्वारा मेसर्स विजयवर्गीय इंफ्रा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड को सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन (एसएंडटी) का कार्य अवार्ड किया गया। यह कार्य ₹ 2.99 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ (फरवरी 2016)। मेसर्स राइट्स ने सीएसपीजीसीएल को 24 फरवरी 2016 को एसएंडटी सिस्टम सफलतापूर्वक कमीशन कर सौंप दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी प्रारम्भ से ही जानती थी कि एसएंडटी प्रणाली के परिचालन और संधारण के लिए जनशक्ति को नियोजित किया जाना है। यद्यपि, कम्पनी ने न तो प्रशिक्षण[44] के लिए अपने कर्मचारियों[45] को नियोजित किया और

[43] अप्रयुक्त रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत= ₹ 183.19 करोड़ (कुल लागत)/24.96 किमी (रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई) X 9.37 किमी (रेलवे नेटवर्क का अप्रयुक्त हिस्सा)

[44] जैसा मेसर्स राइट्स (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट) द्वारा 02/02/2016 को प्रस्ताव दिया गया।

न ही सिस्टम को परिचालित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनशक्ति को लगाया। कम्पनी ने मेसर्स राइट्स से स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को बंद करने के लिए अनुरोध किया (24/02/2016)। कम्पनी सिस्टम को सौंपने की तिथि से मई 2019 तक मैन्युअल रूप से संचालित कर रही थी। स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली पर ₹ 2.99 करोड़ खर्च करने के बाद भी, तीव्र, विश्वसनीय और सुरक्षित ट्रेन आवागमन का उद्देश्य अधूरा रहा। नीचे दिए गए फोटोग्राफ में इसे दिखाया गया है जिसे संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया था (दिसम्बर 2018)।

पुल संख्या 17 खंड और कटिंग सेक्शन के नल बिंदु के बीच रेलवे लाइन पर स्थित स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली का स्टील उपकरण केस ध्वस्त हो गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परिचालन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति नियोजन करने के लिए पहल की जा चुकी है।

खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग न होना

2.8.10 भुगतान की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को एमआरसी जारी करने के बाद कार्य स्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि 34 महीने व्यतीत होने के बाद भी तालिका–2.2 मे दी गई ₹ 2.11 करोड़ मूल्य की सामग्री का आज दिनांक तक (मई 2019) उपयोग नही हुआ।

तालिका–2.2: अनुपयोगी सामग्री का विवरण

स. क्र.	सामग्री	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	एक लाट में से 0.52 लाट हॉइस्टिंग उपकरण	1.48
2	दो में से एक कन्वेयर बेल्ट वल्कानाइजर	0.18
3	दो में से एक ऐलिवेटर (लिफ्ट)	0.45
कुल		**2.11**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

इन सामग्रियों का इंस्टालेशन नहीं होने से ₹ 2.11 करोड़ का निवेश बेकार हो गया इसके साथ ही दिन–प्रतिदिन के कार्यों में परिचालन संबंधी समस्यायें भी आई। जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति की गई थी और चार साल से अधिक समय बीत चुका है, अतः उपकरणों की गारंटी/वारंटी की अवधि भी समाप्त हो गई है। इससे पता चलता है कि अधीक्षण अभियंता (सीएचपी) द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन सही तरीके से नही कराया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) की खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करने

[45] अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्कल–1 ने स्टाफ को तैनात करने के लिए अधीक्षण अभियंता (सर्विसेस) से अनुरोध किया (23/02/2016)।

के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है। शासन ने आगे कहा कि एलडी का आरोपण विलंब विश्लेषण के पश्चात अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अन्य मामले

वैगनों से कोयला अनलोड करने में विलम्ब करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के विलम्ब प्रभार का परिहार्य भुगतान

2.8.11 कम्पनी ने मेसर्स नीलकंठम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा (ठेकेदार) को एक कार्यादेश जारी कर (1 अप्रैल 2016) कोयले की अनलोडिंग की व्यवस्था की। कार्यादेश के अनुसार, वैगनों को 2 घंटे 15 मिनट के निर्धारित समय के भीतर अनलोड करना था। वैगनों को अनलोड करने में विलम्ब होने पर, ₹ 150 प्रतिघंटा प्रति वैगन या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से शास्ति आरोपित की जाएगी और उसे ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 से मई 2019 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कोयला वैगनों को अनलोड करने में देरी के परिणामस्वरूप एसईसीआर को विलम्ब प्रभार के रूप में ₹ 1.46 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि, कम्पनी ठेकेदार से केवल ₹ 0.31 करोड़ ही वसूल कर सकी तथा अधीक्षण अभियंता (सीटीडी) की खराब निगरानी के कारण कम्पनी को ₹ 1.15 करोड़ की शेष राशि का भार वहन करना पडा। वैगनों से कोयला अनलोड करने में विलंब होने के मुख्य कारण थे, कोयले की फीडिंग और सम्प्रेषण या क्रशिंग प्रणाली में समस्या आ जाना, कोयले/शेल के बड़े बड़े टुकड़े जो वैगन गेट और हॉपर ग्रिल में फँस कर कोयले की निकासी/उतराई की प्रक्रिया को बाधित और प्रतिबंधित कर देते थे।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि क्रशर हाऊस अग्नि दुर्घटना के बाद बहाली और सीएचपी की अन्य सहायक गतिविधियों के फिर से चालू हो जाने में काफी समय लग गया था, जिससे विलंब प्रभार का भुगतान करना पड़ा। शासन ने आगे कहा कि वर्ष 2018–19 में अधिक कोयला लेने के बाद भी विलंब प्रभार में महत्वपूर्ण कमी आई हैं।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने क्रशर हाऊस अग्नि दुर्घटना की बहाली के बाद ही विलंब प्रभार पर विचार किया। तथ्य यह रहा कि 2018–19 के पूर्व ₹ 98 लाख की बड़ी राशि का भुगतान विलंब प्रभार के रूप में किया गया था।

एसईसीएल से ₹ 66.08 करोड़ का क्रेडिट नोट प्राप्त न होना

2.8.12 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की वेबसाईट पर उपलब्ध ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अनुसार, कोयले की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिफ्ट के दौरान और प्रत्येक डिलीवरी पॉइंट पर संयुक्त रूप से मेन्युअल विधि से कोयला का नमूना एकत्र किया जाएगा। संयुक्त सेम्पलिंग के कोयला निरीक्षण उपवाक्य के अनुसार, कोयले की ग्रेड के संबंध में किसी भी तरह के विवाद के मामले में, इसे तीसरे पक्ष को संदर्भित किया जाना था और इस मामले में तीसरे पक्ष का निर्णय अंतिम होगा। काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) तीसरा पक्ष था। एसईसीएल द्वारा परिणामों की स्वीकृति के सात दिनों के भीतर संयुक्त हस्ताक्षर के साथ ग्रेड स्लिपेज पर क्रेडिट नोट जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि सीआईएमएफआर के विश्लेषण के अनुसार दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2018 के महिनों के दौरान एसईसीएल से प्राप्त कोयला निम्न ग्रेड का था। तदानुसार, कम्पनी को संबंधित महिने के अगले महीने में सात दिनों के भीतर एसईसीएल से ₹ 95.34 करोड़ का क्रेडिट नोट प्राप्त करना था। यद्यपि, कम्पनी ने सितम्बर 2018 से एसईसीएल से क्रेडिट नोट का दावा करना प्रारम्भ किया।

इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (कोल ट्रांसपोर्ट डिवीजन) ने एसईसीएल से मामले का संज्ञान लेने में विलंब किया और ₹ 66.08 करोड़ की क्रेडिट नोट की राशि प्राप्त नहीं हो पाई (मई 2019)। आगे, एसईसीएल द्वारा क्रेडिट नोट के भुगतान में देरी के कारण भी अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बकाया क्रेडिट नोट की राशि को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए गये थे, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2019 तक क्रेडिट नोट की राशि ₹ 66.08 करोड़ से घटकर ₹ 62.63 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, शासन ने कहा कि यदि एसईसीएल क्रेडिट नोट को समायोजित नहीं करेगी, तो कम्पनी अपने बिलों से क्रेडिट नोट के बराबर की राशि का भुगतान रोक देगी।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के साथ अनुबंध के क्रियान्वयन में विलंब होने से ₹ 4.47 करोड़ की शास्ति लगी

2.8.13 2X500 मेगावाट एबीवीटीपीएस मड़वा के लिए कुल पानी की आवश्यकता की पूर्ति परियोजना के किनारे बहने वाली हसदेव नदी से की जानी थी। प्रवाहित जल की आवश्यकता लगभग 35 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)/वर्ष थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि प्रारम्भ में, कम्पनी को 60 एमसीएम/वर्ष पानी आबंटित किया गया था, जिसे दिसम्बर 2016 में घटाकर 35 एमसीएम/वर्ष कर दिया गया था। यद्यपि, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (संचालन और संधारण) ने मई 2017 तक डब्ल्यूआरडी के साथ कोई भी अनुबंध नहीं किया था। अनुबंध के अभाव में, पानी के आहरण को अनाधिकृत और अवैध माना गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को फरवरी 2017 से मई 2017 की अवधि के दौरान सामान्य दर[46] से तीन गुना[47] ₹ 4.47 करोड़ दण्डात्मक जल प्रभार के रूप में वहन करना पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि शास्ति को माफ करने के लिए डब्ल्यूआरडी के साथ मामले पर चर्चा चल रही हैं।

अनुशंसाः

कम्पनी को समय पर अनुबंध करना चाहिये जिससे शास्ति को टाला जा सकें।

परिचालनात्मक निष्पादन

2.9 तापीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार हैः

[46] ₹ 5.50/क्यूबिक मीटर
[47] ₹ 16.50/क्यूबिक मीटर

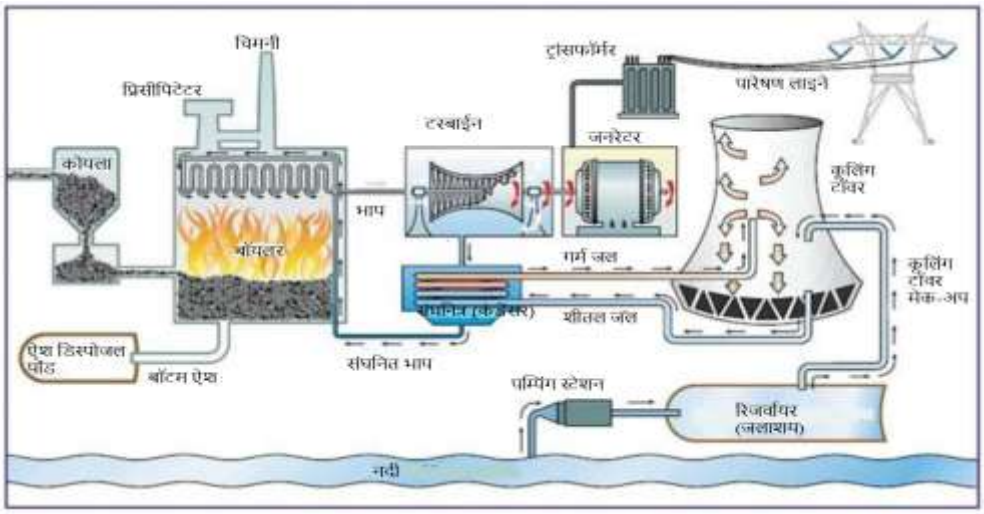

तापीय संयंत्र में, पानी के स्रोत से पानी को प्रारम्भ में बॉयलर में ले जाया जाता है। कोयले की सहायता से बॉयलर को गर्म किया जाता है। तापमान में वृद्धि से पानी को भाप में बदलने में मदद मिलती है। बॉयलर में उत्पन्न भाप को स्टीम टरबाइन के माध्यम से भेजा जाता है। टरबाइन में ब्लेडे होती है, जो उच्च वेग की भाप के प्रवाहित होने पर घूमती है। टरबाइन ब्लेड के इस रोटेशन का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। एक जनरेटर स्टीम टरबाइन से जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमता है, तब विद्युत उत्पन्न होती है और जनरेटर द्वारा आउटपुट के रूप में प्रदान की जाती है, जो बाद में उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। विद्युत उत्पादन गृह की परिचालन क्षमता प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट की उपलब्धता, क्षमता उपयोग, आउटेजेज, सहायक खपत और तेल की खपत पर निर्भर करती है। इन पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न होना

2.9.1 वर्ष के दौरान योजनाबद्ध आउटेजेज पर विचार करने के पश्चात सीएसईआरसी द्वारा वार्षिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

तालिका 2.3 अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान स्थापित क्षमता, निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को दर्शाती है।

तालिका 2.3: स्थापित क्षमता बनाम वास्तविक उत्पादन

इकाई	वर्ष	स्थापित क्षमता	सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन		कमी
		(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	पीएलएफ (प्रतिशत)	(मिलियन यूनिट)	पीएलएफ (प्रतिशत)	(मिलियन यूनिट)
इकाई–1	2016–17	4,380	3,723	85	294.10	6.70	3,428.90
	2017–18	4,380	3,723	85	2,739.90	62.60	983.10
	2018–19	4,380	3,723	85	2,945.96	67.26	777.04
इकाई–2	2016–17[48]	2,928	2,488	85	2,326.20	79.50	161.80
	2017–18	4,380	3,723	85	2,980.00	68.00	743.00
	2018–19	4,380	3,723	85	3,471.31	79.25	251.69
कुल		**24,828**	**21,103**		**14,757.47**	**59.44**	**6,345.53**

(स्त्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़ें)

[48] 31 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017

कम्पनी उच्च आउटेज दर होने के कारण उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिसके कारण 6,345.53 मिलियन यूनिट की उत्पादन में कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 6,345.53 मिलियन यूनिट की कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था। प्रबंधन[49] ने उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण आउटेजों की उच्च दर बताया है जो उसके द्वारा पहचाने और प्रतिवेदित किये गये है जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

- आउटेज उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके लिए संयंत्र योजनाबद्ध/बाधित रखरखाव के लिए बंद रहा। कुल हानि हुए घंटे की संख्या 2016–17 में योजनाबद्ध आउटेज के कारण 275 घंटे से बढ़कर 2018–19 में 1,313.84 घंटे हो गई। 2016–19 की अवधि के दौरान अनिवार्य आउटेज 8.70 प्रतिशत और 60.43 प्रतिशत के बीच रहा। लेखापरीक्षा के दौरान आउटेज अधिक होने के मुख्य कारण नीचे दिये गये है:

दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना

2.9.2 इकाई–1 के लिए टरबाइन बॉक्स अप फरवरी 2013 में पूरा हो गया था और इकाई–1 को तेल ईंधन के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था (20 दिसम्बर 2013)। उसके बाद, इकाई–1 को फिर से सिंक्रोनाइज किया गया और कोयला के साथ लोड को 500 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया (30 मार्च 2014)। दोनों अवसरों पर इकाई–1 टीजी शॉफ्ट कम्पन के कारण ट्रिप हो गया और इकाई स्थिर अवस्था में नहीं आ पायी क्योंकि टरबाइन शॉफ्ट के झुकने या मुड़ने की प्रवृत्ति के कारण वह लम्बे समय तक एक ही अवस्था में बने रहता है। क्रशर हाऊस में अग्नि दुर्घटना के कारण 14 जुलाई 2015 से 22 फरवरी 2016 के दौरान इकाई–1 का परिचालन नहीं किया जा सका और इसप्रकार 31 मार्च 2016 को सीओडी हो पाया। टरबाइन समस्या के कारण 14 मार्च 2016 से 2 मई 2016 की अवधि के दौरान इकाई–1, 18 बार ट्रिप हुई। मेसर्स भेल के साइट अभियंताओं ने अपने स्तर पर मामले को सुलझाने के कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे। इसलिए, मेसर्स भेल ने घोषणा की (28 अगस्त 2016) कि टरबाइन परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं था, अतः टरबाइन मरम्मत के लिए मेसर्स भेल, हरिद्वार को भेजा गया था (30 सितम्बर 2016) और 12 मार्च 2017 से वापस परिचालन में लाया जा सका। 2 मई 2016 से 12 मार्च 2017 (314 दिनों) की अवधि के दौरान इकाई–1 बंद रही। आगे, मेसर्स भेल द्वारा मरम्मत करने के बावजूद भी समस्या वैसी ही बनी रही और इकाई–1 को दिसम्बर 2018 तक छः अवसरों पर उक्त कारण से बंद करना पड़ा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि इकाई–1 मार्च 2016 से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (दिसम्बर 2018) तक 24 बार ट्रिप हुई। इस तरह के उच्च कम्पन के सटीक कारण का पता लगाने के लिए मेसर्स भेल और कम्पनी द्वारा कई अध्ययन किये गये, यद्यपि सटीक कारण का पता लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2019) तक नहीं लगाया जा सका जिससे यह संकेत मिलता है कि मेसर्स भेल ने एबीवीटीपीएस मड़वा में ₹ 89.94 करोड़ के दोषपूर्ण टरबाइन की आपूर्ति की और उसे स्थापित किया। टरबाइन में अंतर्निहित दोष के कारण कम्पनी को इकाई–1 के लोड को 150 मेगावाट से 416 मेगावाट के बीच सीमित रखना पड़ा और उसे 736.84 मिलियन यूनिट की आंशिक हानि के कारण ₹ 198.13 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी और इस प्रकार इकाई–1 के डिजाईन किये गये जीवनकाल में इसप्रकार की आंशिक हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

कम्पनी दिसम्बर 2013 में इकाई–1 के पहले सिंक्रोनाइजेशन के बाद से ही टरबाइन में उच्च कम्पन की समस्या से अवगत थी उसके बावजूद भी न तो उसने दोषपूर्ण

[49] कार्यपालन अभियंता (परिचालन), एबीवीटीपीएस, मड़वा

टरबाइन के प्रतिस्थापन के लिए मेसर्स भेल पर जोर दिया और न ही ऊर्जा विभाग (छत्तीसगढ़ शासन) के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाया। अनुबंध में मध्यस्थता के लिए प्रावधान होने के बाद भी कम्पनी ने मेसर्स भेल के विरूद्ध मध्यस्थता के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि टरबाइन जनरेटर शॉफ्ट में पाये गये दोषों और उनके समाधान करने के लिए मेसर्स भेल को तुरंत अवगत कराया गया था। समस्या का समाधान न होने के कारण, कम्पनी ने समस्या का पता लगाने के लिए एचपी टरबाइन को भेल के हरिद्वार स्थित कारखाने भेजने का निर्णय लिया था। शासन ने पुनः कहा कि टरबाइन में कम्पन की समस्या का निदान कर लिया गया है (मार्च 2019)।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी को टरबाइन में कम्पन की समस्या के बारे में पहले सिंक्रोनाइजेशन (दिसम्बर 2013) के समय से ही पता था लेकिन उसने सीओडी तक तीन वर्ष में इसे ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। आगे, कम्पनी को टरबाइन में कम्पन की समस्या के कारण मार्च 2019 तक ₹ 1,256.67 करोड़[50] मूल्य की 4,654.35 मिलियन यूनिट[51] की उत्पादन हानि वहन करनी पड़ी।

स्पेयर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर (जीटी) की अनुपलब्धता के कारण आउटेज

2.9.3 मेसर्स भेल, भोपाल ने एबीवीटीपीएस के लिए सात जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति की थी (अप्रैल 2013), जिसमें से इकाई–1 और इकाई–2 में छः जीटी (प्रत्येक में तीन) लगाकर चालू किये गये। एक जीटी को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए स्पेयर (क्रम संख्या 6006970) में रखा गया गया था जिसे आवश्यकता पड़ने पर दोषपूर्ण जीटी के साथ बदला जा सके।

कम्पनी और मेसर्स भेल के संयुक्त सत्यापन करने पर (दिसम्बर 2015) स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) के कोर[52] में अर्थिंग संबंधी समस्या पाई गई। उसे मेसर्स भेल को मरम्मत के लिए भेजा गया। इसी बीच, कम्पनी द्वारा डीसॉल्व गैस विश्लेषण (डीजीए) के लिए इकाई–2 के जीटी (क्रम संख्या 6006966) का परीक्षण किया गया (सितम्बर 2016) और नमूने में दहनशील गैसों की असामान्य उपस्थिति पायी गई जो किसी भी समय जीटी की विफलता का कारण बन सकती थी। चूँकि मरम्मत के बाद स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) वापस नहीं मिल पाया, इसलिए कम्पनी ने 10 नवम्बर 2016 से 17 नवम्बर 2016 तक इकाई–2 का शटडाउन लेकर 17 नवम्बर 2016 को इकाई–1 के जीटी के साथ दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966) को बदल दिया।

मेसर्स भेल ने जीटी (क्रम संख्या 6006970) को सुधार कर 20 महीने के अंतराल के बाद अगस्त 2017 में कम्पनी को वापस कर दिया। बाद में, दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966)[53] को स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) के साथ बदलने के लिए 13 नवम्बर 2017 से 17 नवम्बर 2017 के बीच एक शटडाउन लेना प्रस्तावित किया गया और उसे 22 नवम्बर 2017 को बदल दिया गया।

---

[50] 4,654.35 मिलियन यूनिट × ₹ 2.70 प्रति यूनिट

[51] 328 दिनों के लिए इकाई 1 बंद होने और सीमित लोड पर परिचालित होने के कारण क्रमशः 3,917.51 मिलियन यूनिट और 736.84 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि

[52] कोर एक चुंबकीय सामग्री का टुकड़ा है जो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैग्नेटिक डिवाइस में चुबंकीयता क्षेत्र को दर्ज करने और मार्गदर्शन करने के लिए एक उच्च चुबंकीय पारगम्यता का उपयोग करता है।

[53] जिसे इकाई 2 से हटाने के बाद साइट पर मरम्मत करके इकाई 1 में स्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि 20 महीने की असामान्य देरी के बाद स्पेयर जीटी की मरम्मत की गई थी। यदि उचित समय के भीतर जीटी (क्रम संख्या 6006970) ठीक कर लिया जाता तो इकाई–2 के दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966) को इकाई–1 के जीटी के साथ प्रतिस्थापन किये जाने के स्थान पर मरम्मत किए गए स्पेयर जीटी से बदला जा सकता था और बाद में 13 नवम्बर 2017 से 23 नवम्बर 2017 की अवधि के दौरान 231.22 घंटे के शटडाउन को टाला जा सकता था। यद्यपि, कम्पनी ऐसा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.23 करोड़[54] मूल्य की 115.683 मिलियन यूनिट की परिहार्य उत्पादन हानि हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी ने स्पेयर जीटी के दोषों को सुधारने के लिए मेसर्स भेल के साथ बहुत पत्राचार किया और बैठकें की थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्पेयर जीटी में समस्या जनवरी 2016 में पाया गयी थी लेकिन कम्पनी ने मेसर्स भेल से आठ माह के बीत जाने के बाद स्पेयर जीटी की मरम्मत के लिए अनुरोध किया (24 अगस्त 2016)। अगर कम्पनी स्पेयर जीटी को कार्य करने की स्थिति में तैयार रखती, तो एक शटडाउन को टाला जा सकता था।

निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग

2.9.4 एबीवीटीपीएस की इकाई–2 की वार्षिक ओवरहॉलिंग (एओएच) 2017–18 के दौरान की गयी थी (15 फरवरी 2018 से 7 मार्च 2018)। इकाई–2 एओएच के पहले 2017–18 में 556 घंटे के लिए बंद रही (ट्रिपिंग की 16 घटनाएँ) और एओएच के बाद मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान 1,008 घंटे के लिए बंद रही (ट्रिपिंग की 27 घटनाएँ)। एओएच का मुख्य उद्देश्य ट्रिपिंग को कम करना और उत्पादन हानि को बचाना है। लेकिन वास्तव में एओएच के बाद, ट्रिपिंग की संख्या में 68.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भविष्य में ट्रिपिंग से बचने के लिए इकाइयों के परिचालन और रखरखाव में जरूरी सुधार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।

आउटेज की उच्च दर रहने के परिणामस्वरूप मानदण्डों के विरूद्ध फ्यूल ऑयल की खपत, ऑग्जलरी पावर की खपत और स्टेशन हीट दर में भी वृद्धि होती है। जिसकी चर्चा आगे की गई है:

₹ 47.72 करोड़ मूल्य के फ्यूल ऑयल की निर्धारित मानदंडों से अधिक खपत

2.9.5 तापीय विद्युत संयंत्रों में आरंभिक या इग्निशन ईंधन के रूप में हाई फर्नेस ऑयल (एचएफओ), एलडीओ (लाइट डीजल ऑयल) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का उपयोग किया जाता है। इकाई–1 और इकाई–2 के लिए सीएसईआरसी के अंतरिम टैरिफ (अप्रैल 2016) में 0.50 मिलिलीटर प्रति किलोवाट–घंटा (एमएल/केडब्ल्यूएच) पर ऑयल की खपत के लिए मानक निर्धारित किया गया था। निर्धारित मानकों के विरूद्ध, 2016–17 से 2018–19 के दौरान, औसत ऑयल की खपत 0.63 एमएल/केडब्ल्यूएच और 12.18 एमएल/केडब्ल्यूएच के बीच रही। एबीवीटीपीएस ने ₹ 47.72 करोड़ मूल्य के 11,989.35 किलोलीटर एचएफओ और एचएसडी की अधिक खपत की (जैसा कि ***अनुलग्नक 2.1*** में विस्तार से दिया गया है)।

पावर की ऑग्जलरी खपत अधिक होना

2.9.6 पावर स्टेशनों द्वारा सामान्य सेवाओं के लिए अपने उपकरणों को चलाने के

[54] 115.683 मिलियन यूनिट अर्थात् 11,56,83,000 यूनिट × ₹ 2.70 प्रति यूनिट = ₹ 31,23,44,100

लिए खपत की जाने वाली ऊर्जा को ऑग्जलरी खपत कहा जाता है। सीएसईआरसी द्वारा अपने टैरिफ आदेश में एबीवीटीपीएस के लिए ऑग्जलरी खपत के लिए 5.25 प्रतिशत का मानदंड निर्धारित किया था (30 अप्रैल 2016)। 2016–17 से 2018–19 के बीच वास्तविक ऑग्जलरी खपत 5.24 प्रतिशत और 20.03 प्रतिशत के बीच थी। सीएसईआरसी के मानदंडों के संदर्भ में वहाँ 194.69 मिलियन यूनिट अधिक खपत की गयी, जिसे ग्रिड में प्रेषित कर ₹ 52.57 करोड़[55] का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता था।

स्टेशन हीट दर

2.9.7 थर्मल पावर स्टेशन की दक्षता का आंकलन करने के लिए स्टेशन हीट दर (एसएचआर) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। एक पावर प्लांट का हीट दर रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करने के लिए आपूर्ति की जानी चाहिए अर्थात् एक किलोवाट–घंटा की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उत्पादन के लिए किलोकैलोरी (केसीएएल) के रूप में हीट एनर्जी इनपुट की आवश्यकता से हैं। किसी भी स्टेशन का यह प्रयास होना चाहिए कि इकाई को उसके डिजाईन हीट दर के यथासंभव निकटतम परिचालित किया जाए।

सीएसईआरसी ने एबीवीटीपीएस की इकाई–1 और इकाई–2 के लिए अंतरिम टैरिफ आदेश को स्वीकृति देते हुए (30 अप्रैल 2016) 2,378 किलोकैलोरी/केडब्ल्यूएच का स्टेशन हीट दर निर्धारित किया था। 2016–17 के दौरान, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंड की तुलना में इकाई–1 और इकाई–2 का एसएचआर क्रमशः 2,708 और 2,593 किलोकैलोरी/केडब्लूएच अधिक था। 2016–17 और 2017–18 के दौरान इकाई–1 और इकाई–2 में उच्च एसएचआर के परिणामस्वरूप 1.54 लाख मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई, जिसका मूल्य ₹ 37.69 करोड़ था (जैसा कि ***अनुलग्नक–2.2*** में विस्तार से दिया गया है)।

डेवियेशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (डीएसएम) प्रभार का परिहार्य भुगतान –₹ 10.07 करोड़

2.9.8 सीएसईआरसी के विनियम, 2014 की धारा 5 {डेवियेशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (डीएसएम) और संबंधित मामलें} बताती है कि विक्रेता नियमन में निर्दिष्ट दरों पर सभी समयखण्डों[56] के लिए पावर के इंजेक्शन में विचलन के लिए प्रभार[57] का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी ने डीएसएम प्रभार के रूप में ₹ 10.07 करोड़[58] का भुगतान किया क्योंकि वह मई 2016 से मार्च 2019 की अवधि में ग्रिड में निर्धारित ऊर्जा इंजेक्ट करने में विफल रही। जिसके परिणामस्वरूप उसने डीएसएम प्रभार के रूप में ₹ 10.07 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि टरबाइन शॉफ्ट में उच्च कम्पन, राख निकासी की समस्या, गुणवत्ताहीन या कोयले की कम आपूर्ति, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर में उत्सर्जित गैसों का उच्च प्रतिशत और ट्यूब रिसाव आदि उत्पादन कम होने के मुख्य कारण थे। शासन ने आगे कहा कि अनुबंध को समाप्त करने से पहले, मेसर्स भेल और मेसर्स बीजीआर के प्रति सभी देनदारियों का विश्लेषण

---

[55] 194.69 मिलियन यूनिट × 10,00,000 × ₹ 2.70 प्रति यूनिट सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित

[56] 15 मिनट के एक समयखण्ड का अर्थ है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा निर्दिष्ट विद्युतीय पैरामीटर और मात्राओं को दर्ज किया जाता है, पहला समयखण्ड 00:00 घंटे से प्रारम्भ होता है।

[57] विनियम में निर्दिष्ट दरों पर एक समयखण्ड की औसत आवृत्ति के आधार पर गणना की जाती है।

[58] अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक

किया जायेगा और उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुशंसाः

कम्पनी को पीएलएफ में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोयले और ऑयल की खपत के संबंध में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए।

पर्यावरण संबंधी मामले

2.10 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थानीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है। निर्माण और परिचालन संबंधी क्रियाओं के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों में वायु प्रदूषण (सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि), जल प्रदूषण (आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि), भूमि के उपजाऊपन में गिरावट (फ्लाई ऐश भंडारण के लिए भूमि के स्वरूप में परिर्वतन करना) और ध्वनि प्रदूषण सम्मिलित है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार ने एबीवीटीपीएस को उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए पाँच साल की अवधि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की (फरवरी 2008) और जिसे पुनः अगले पाँच वर्ष के लिए अर्थात फरवरी 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया (मार्च 2016)। कम्पनी द्वारा ईसी की 35 शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक था, किन्तु जिनमें से 17 मामलों में शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ था, जिसका वर्णन ***अनुलग्नक 2.3*** में किया गया है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) के अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया जो यह दिखाता हो कि कम्पनी के विरूद्ध गैर–अनुपालन के लिए उसने कोई कार्यवाही की हो। कुछ प्रमुख गैर–अनुपालनों की चर्चा नीचे की गई है।

मानक से अधिक स्टैक उत्सर्जन होना

2.10.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ''पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986'' में संशोधन किया (दिसम्बर 2015) और यह निर्धारित किया कि अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक (7 दिसम्बर 2015) से दो वर्षों के भीतर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए निर्धारित स्टैक उत्सर्जन मानकों को प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त अधिसूचना के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर स्टैक उत्सर्जन/परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 200 एमजी/एनएम^3 के भीतर ही होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दो वर्ष बाद जनवरी 2018 से नवम्बर 2018 के दौरान, संयंत्र के अभिलेखों के अनुसार, 52 अवसरों पर सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर मानक से अधिक था जो 202.10 एमजी/एनएम^3 और 246.15 एमजी/एनएम^3 (1.05 प्रतिशत से 23.08 प्रतिशत) के बीच था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि 200 एमजी/एनएम^3 के भीतर सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के लिए नया मानदंड दिसम्बर 2015 से लागू था। जैसा कि 2007–12 की अवधि के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन की कल्पना की गई थी, परियोजना के घटकों के डिजाईन पैरामीटर को उक्त अवधि के दौरान लागू मानदंडों का ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था। शासन ने आगे कहा कि कम्पनी ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को मानदंडों के अंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी निर्धारित समय में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को तय मानक के अंदर बनाए रखने में विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी ने अधिसूचना जारी होने के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद एमओईएफ एंड सीसी के मानदंडो के अनुसार फ्यूल गैसों के उत्सर्जन मानक को प्राप्त

करने के लिए फ्यूल गैस विघटन प्रणाली की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की (मई 2019)।

ध्वनि प्रदूषण का अधिक होना

2.10.2 भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, ''औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक दिन के समय[59] 75 डेसीबल[60] और रात के समय[61] 70 डेसीबल में होगा''। सीईसीबी द्वारा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति में इस शर्त को भी सम्मिलित किया गया था (मई 2008)।

लेखापरीक्षा ने संयंत्र के अभिलेखों में पाया कि 12[62] में से छः[63] स्थानों में ध्वनि का मासिक औसत स्तर स्टीम टरबाइन जनरेटर, अन्य घूर्णन उपकरण, दहन प्रेरित ध्वनि, प्रवाह प्रेरित ध्वनि और भाप सुरक्षा वाल्व के कारण पर्यावरण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक से अधिक था। अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एक दिन के लिए 75 डेसीबल की निर्धारित सीमा के मुकाबले यह 95.74 डेसीबल और 83.64 डेसीबल के बीच था। यद्यपि, कम्पनी ने रात में ध्वनि के स्तर को अभिलेखित नहीं किया। यह भी पाया गया कि कम्पनी के अन्य संयंत्र[64] में ध्वनि का स्तर मानक के भीतर था। उपरोक्त को प्राप्त करने लिए, उपकरण से ध्वनि उत्सर्जन स्रोत पर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए, ध्वनि के फैलाव को विकरित करने के लिए संयंत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना चाहिए। यद्यपि, कम्पनी ने एमओईएफ एंड सीसी द्वारा निर्धारित (फरवरी 2008) 3.38 लाख[65] पौधों के मानदंडो के विरूद्ध 1.28 लाख पौधें लगाए।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि 14 मई 2019 की ध्वनि स्तर की निगरानी प्रतिवेदन के अनुसार एबीवीटीपीएस के 12 अलग–अलग चिन्हित स्थानों पर विभिन्न मापदंडो के अनुसार ध्वनि के स्तर को मापा गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा का निष्कर्ष कि कम्पनी ने रात में ध्वनि का स्तर अभिलेखित नहीं किया था, सही नहीं है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि में कम्पनी ने रात में ध्वनि के स्तर को अभिलेखित नहीं किया था। इसके अलावा, कम्पनी ने दिन के समय में ध्वनि प्रदूषण के अतिरिक्त स्तर के बारे में कुछ नहीं कहा।

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रतिवेदन तैयार नही किया

2.10.3 सीईसीबी ने मंजूरी देते समय (31 मार्च 2014) निर्देश दिया था कि ''एक वर्ष के आंकड़ों (चारो मौसमों) को समाहित करते हुए एक ईआईए प्रतिवेदन संयंत्र प्रारंभ होने की तिथि से 15 महीने के भीतर सीईसीबी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।''

---

[59] दिन के समय से आशय सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक है।

[60] ए–भारित डेसीबल, जिसे डेसीबल के रूप में संक्षिप्त किया गया है, हवा में ध्वनियों के साक्षेप शोर की अभिव्यक्ति है जो मानव कान द्वारा महसूस होती है।

[61] रात के समय से आशय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक है।

[62] टरबाइन हाऊस, एयर कम्प्रेशर क्षेत्र, मिल क्षेत्र, ईएसपी क्षेत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट, बॉयलर हाऊस, क्रशर हाऊस, सीएचपी क्षेत्र, सीडब्ल्यू पम्प हाऊस, मुख्य द्वार, हॉस्पिटल और इनटेक पम्प हाऊस।

[63] टरबाइन हाऊस, एयर कम्प्रेशर क्षेत्र, मिल क्षेत्र, बॉयलर हाऊस, क्रशर हाऊस और कूलिंग वाटर पम्प हाऊस।

[64] कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन

[65] कुल संयंत्र क्षेत्र 225 हेक्टेयर × 1,500 पौधे प्रति हेक्टेयर = 3,37,500 पौधे

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्लांट के चालू होने के 30 महीने के बाद भी एबीवीटीपीएस ने कोई ईआईए प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। ईआईए प्रतिवेदन के अभाव में, संयंत्र के परिचालन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2019) कि एबीवीटीपीएस में पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के आंकलन के लिए निविदा सूचना आमंत्रण (एनआईटी) जारी की जा चुकी है (8 जुलाई 2019)।

एमओईएफ एण्ड सीसी के ऐश उपयोग मानदंडों का अनुपालन न करना

2.10.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत सरकार ने अधिसूचित किया (25 जनवरी 2016) कि कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र 31 दिसम्बर 2017 से पहले उनके द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के प्रावधान का अनुपालन करेंगे।

ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग की जगह केवल 24.07 प्रतिशत उपयोग हो पाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओईएफ एण्ड सीसी के निर्देशों के अनुसार मार्च 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ऐश का उपयोग 100 प्रतिशत के विरूद्ध केवल 24.07 प्रतिशत था, क्योंकि भारी वाहनों के आवागमन के लिए प्लांट तक पहुँचने के लिए एप्रोच रोड पूरा नहीं हो पाया था तथा अधीक्षण अभियंता (सिविल–III), एबीवीटीपीएस द्वारा अपनी वेबसाइट पर फ्लाई ऐश की उपलब्धता संबंधित आंकड़ों को अपलोड न किया जाना था जिससे अपेक्षित उपयोगकर्ताओं को ऐश की उपलब्धता की जानकारी हो सके और वे ऐश की मांग और संग्रहण कर सके। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा नाममात्र लीज शुल्क पर भूमि का आबंटन, विद्युत खपत के शुल्क पर रियायत और उचित तकनीकि, प्रबंधकीय और विपणन सहायता जैसे कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे, जिससे कि कम्पनी की ऐश उपयोग क्षमता में सुधार हो सके, जैसा कि डीपीआर में परिकल्पित है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी ने ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग संबंधी निर्देश के विरूद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है।

तथ्य यह है कि ऐश का उपयोग 100 प्रतिशत के विरूद्ध केवल 24.07 प्रतिशत था।

सेनोस्फेयर का आरक्षित मूल्य तय करने में विफलता

2.10.5 सेनोस्फेयर विद्युतगृहों में कोयले के दहन से उत्पन्न फ्यूल ऐश से निर्मित एक सह–उत्पाद है। सामान्य रूप से फ्लाई ऐश में सेनोस्फेयर का उत्पादन 0.2 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक होता है। यह प्लास्टिक घटकों के रूप में प्लास्टिसोल, थर्मोप्लास्टिक, लेटेक्स, पॉलिस्टर, एपॉक्सी, फिनोल रेजिन और यूरिथेन्स के लिए एक्सटेंडर के रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। सिंथेटिक फोम भी सेनोस्फेयर के साथ बनाया जाता है। यह सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री जैसे कोटिंग्स और कंपोजिट के लिए भी अनुकूल है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादों में विस्तृत रूप से किया जाता है, जिसमें खेल उपकरण, इन्सुलेटर, ऑटोमोबाईल बॉडी, मेरीन क्राफ्ट बॉडी, पेन्ट और अग्नि और ऊष्मा संरक्षण उपकरणों को बनाने में किया जाता है।

कम्पनी ने सेनोस्फेयर का आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया जिसके कारण वह ₹ 11.67 करोड़ का राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान, एबीवीटीपीएस ने 40.62 लाख मीट्रिक टन ऐश का उत्पादन किया था, जिसमें 8,124 मीट्रिक टन सेनोस्फेयर (0.2 प्रतिशत का न्यूनतम अनुमान मानते हुए) का योगदान होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी ने एबीवीटीपीएस के ऐश डाइक से सेनोस्फेयर के संग्रहण, प्रबंधन, प्रसंस्करण, परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से

निपटान के लिए ठेकेदार[66] को कार्य आदेश जारी किया (22 नवम्बर 2017) जिससे कम्पनी को ₹ 3.18 लाख प्रतिवर्ष की आय हुई। सेनोस्फेयर के रूप में, जिसकी बाजार में उच्च मांग और मूल्य है और कम्पनी के लिए अधिक राजस्व अर्जित कर सकता था, के लिए आरक्षित मूल्य/मीट्रिक टन[67] निर्धारित होना चाहिए था। यदि कम्पनी द्वारा आरक्षित मूल्य तय करके अनुबंध करने का निर्णय किया जाता, तो वह ₹ 11.67 करोड़[68] का राजस्व अर्जित कर सकती थी। इसी प्रकार, कम्पनी अन्य संयंत्रो में भी आरक्षित मूल्य तय करने में असफल रही और 2016–17 से 2017–18 के दौरान डीएसपीएम, टीपीएस, कोरबा पूर्व ने ₹ 6.23 करोड़[69] के बजाय ₹ 6.26 लाख का राजस्व अर्जित किया और कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन, टीपीएस ने ₹ 6.16 करोड़[70] के बजाय ₹ 7.84 लाख का राजस्व अर्जित किया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भू–विस्थापितों द्वारा गठित सहकारी समिति को उनके लिए रोजगार सृजन हेतु सेनोस्फेयर संग्रहण का कार्य दिया गया था। शासन ने आगे कहा कि सेनोस्फेयर संग्रहण का कार्य ऐसी सहकारी समिति को दिया गया था जिन्होंने उच्चतम दर प्रस्तुत की थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने भू–विस्थापितों को मासिक भत्ते और रोजगार प्रदान किया था इसलिए, कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना सेनोस्फेयर के संग्रहण का कार्य प्रदान करना न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा आरक्षित मूल्य तय करने के अभाव में सहकारी समितियों से प्राप्त उच्चतम दर बहुत नाममात्र की थी।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होना

2.10.6 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत् सीईसीबी द्वारा जारी (31 मार्च 2016) नवीनीकरण हेतु दी गई सहमति की शर्तों के अनुसार ''उद्योग छः महीने के भीतर आवश्यक रूप से घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना करेंगे''।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि एबीवीटीपीएस ने 30 महीने बीत जाने के बाद भी सीईसीबी की उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए आज दिनांक तक (मई 2019) कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट[71] नहीं लगाया है। जिसके कारण कम्पनी के अभिलेखों में दर्ज नहीं थे।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आवासीय क्षेत्र में एसटीपी की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है।

अनुशंसाः

कम्पनी को पर्यावरण अधिनियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

---

[66] श्री हरिदास भू–विस्थापित जनकल्याण सेवा समिति, जरवे, जांजगीर–चाँपा

[67] कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन, तेलंगाना ने ₹ 14,360 प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा।

[68] ₹ 14,360/मीट्रिक टन × 8,124 मीट्रिक टन

[69] 21,71,023 मीट्रिक टन का 0.2 प्रतिशत × ₹ 14,360/मीट्रिक टन

[70] 21,47,070 मीट्रिक टन का 0.2 प्रतिशत × ₹ 14,360/मीट्रिक टन

[71] लागत ₹ 3.04 करोड़

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

2.11 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधकीय उपकरण है जिसका उपयोग उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए किया जाता है कि संगठन के उद्देश्यों को एक कुशल, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया जा रहा है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र की कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

कार्य नियमावली तैयार न करना

2.11.1 कम्पनी का निगमन मई 2003 में किया गया था। कम्पनी ने अपने विद्युत गृहों में एबीवीटीपीएस सहित विभिन्न प्रकार के सिविल कार्य जैसे कि सड़के, पुलिया, उद्यान, आवासीय घरों का निर्माण और बीटीजी/बीओपी ठेकेदारों के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि कार्य क्रियान्वित किये। इस संबंध में यह पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी ने न तो अपनी कार्य नियमावली तैयार की और न ही उसने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), छत्तीसगढ़ शासन की नियमावली को अपनाया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने किसी व्यवधान पंजी का संधारण नहीं किया और उसी कारण से बीटीजी/बीओपी अनुबंध आज दिनांक तक समाप्त नहीं हो पाये।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कार्य नियमावली शीघ्र ही तैयार कर ली जाएगी।

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना

2.11.2 कम्पनी ने परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कराया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि 2009–10 से 2018–19, की अवधि के दौरान ₹ 6.62 करोड़ मूल्य के 56 कार्य स्थानीय प्रशासन, जांजगीर–चाँपा के माध्यम से क्रियान्वित किए गए, जिसके लिए अब तक कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2019)। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी स्थानीय प्रशासन को दिये गये कोष की उपयोगिता की स्थिति और कार्य प्रगति का आंकलन नहीं कर सकी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि जिला प्राधिकारियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ₹ 2.77 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके है।

तथ्य यह है कि ₹ 3.85 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

ऊर्जा लेखापरीक्षा न कराया जाना

2.11.3 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम), के प्रावधानों के अनुसार, सभी ऊर्जा आधारित उद्योगों को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी इकाइयों की लेखापरीक्षा करवाना चाहिए। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 28 अप्रैल 2010, को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक नामित उपभोक्ता को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के 18 महीनों के भीतर मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा पहली ऊर्जा लेखापरीक्षा करानी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी को सीओडी की तिथि से 18 महीने के अंदर अर्थात् सितम्बर 2017 तथा जनवरी 2018 तक इकाई–1 और इकाई–2 की ऊर्जा लेखापरीक्षा कराना था किन्तु इन दोनों इकाइयों की अभी तक (मार्च 2019) कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ऊर्जा लेखापरीक्षा के लाभों से वंचित रह गई तथा इसके अलावा उसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के

प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ऊर्जा लेखापरीक्षा कराने के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है (जुलाई 2019)।

तथ्य यह है कि इकाई–1 और इकाई–2 के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 में निर्धारित समय के भीतर आयोजित नहीं की गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ही कम्पनी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कमजोर और अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

2.11.4 आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य है और इसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक इकाई के कामकाज का एक सतत् और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिसमें कम्पनी के समग्र शासन तंत्र को मजबूत करने लिए और मूल्य आधारित बनाने का सुझाव दिया जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी के पास अपना स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था और अभी तक इसने आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं की थी। कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा 2016–17 तक एबीवीटीपीएस की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई (अप्रैल 2017)। आंतरिक लेखापरीक्षा में डीपीआर तैयार करने, प्रमुख अनुबंधों की शर्तों और नियमों के अनुपालन, परियोजना के लिए धन की व्यवस्था, सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और परिचालन दक्षता जैसे परियोजना के मुख्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अवलोकन के लिए संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

सीओडी के बाद संयंत्र का बीमा नहीं कराया गया

2.11.5 बीमा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना और जोखिम को कम करना है। यह पाया (जनवरी 2019) कि इकाई–1 और इकाई–2 की सीओडी क्रमशः 31 मार्च 2016 और 31 जुलाई 2016 को की गयी परंतु संयंत्र का कोई बीमा नहीं कराया गया। यह मुख्य रूप से कम्पनी का प्राथमिक उत्तरदायित्व था कि वह संयंत्र का बीमा करवाये किंतु उसने पूर्ण संयंत्र का कोई बीमा कवरेज नहीं लिया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कम्पनी पहले ही 14 जुलाई 2015 को क्रशर हाऊस में बड़ी अग्नि दुर्घटना का सामना कर चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों इकाइयों की सुविधाओं/सीओडी को पूरा करने में निर्धारित समय से सात माह का विलंब हो गया था और इससे उसे 5,352 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि भी वहन करनी पड़ी थी। कम्पनी को अपने पिछले अनुभव से सबक सीखना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम अपने उत्पादन संयंत्रों का बीमा कराते हैं।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि शीघ्र ही अन्य संयंत्रों के साथ एबीवीटीपीएस का भी बीमा कराया जायेगा।

एसएपी–ईआरपी प्रणाली के माध्यम से परियोजना की निगरानी न करना

2.11.6 मुख्य अभियंता का कार्यालय, एनर्जी इन्फोटेक सेंटर[72] (ईआईटीसी) एसएपी–ईआरपी प्रणाली के माध्यम से कम्पनी की वित्तीय, परिचालन और अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करता है। यद्यपि, एबीवीटीपीएस मड़वा में की गई निर्माण गतिविधियों पर एसएपी–ईआरपी प्रणाली के माध्यम से निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कमियां पायी गई (जनवरी 2019):

- एसएपी एक लेन–देन आधारित सॉफ्टवेयर है और जिसके आधार पर सिस्टम में प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं। यद्यपि, एसएपी में कार्य प्रवाह मॉड्यूल लागू नहीं किया गया था। अतः, विक्रेता बिलिंग प्रक्रिया में अनुमोदन ठीक तरीके से नहीं लिए गए थे।

- एसएपी–ईआरपी प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि अनुबंधों के सभी नियमों और शर्तों के सत्यापन के बाद ही भुगतान किया गया था, इसके बजाय बिलों को मैन्युअल रूप से पारित किया गया था और यह बिल पारित करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता था कि वे अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करें।

- एसएपी–ईआरपी प्रणाली में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान नहीं था कि निर्धारित समय से परे कार्यों/आपूर्ति के पूरा होने में विलंब होने पर स्वचालित रूप से शास्ति काट ली जाए। यद्यपि, परियोजना को चालू होने में 44 महीने की देरी हुई थी लेकिन कम्पनी ने कोई शास्ति नहीं काटी।

- यदि कार्य के क्रियान्वयन/निष्पादन में कोई कमी रह गई हो तो निष्पादन आधारित दंड की निगरानी के लिए एसएपी–ईआरपी प्रणाली में जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी। कूलिंग टॉवर 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आउटलेट तापमान की गारंटी के अनुरूप निष्पादन करने में विफल रहा, यद्यपि कम्पनी ने कोई शास्ति नहीं लगायी।

- एसएपी प्रणाली में समय–समय पर बैंक गारंटी की वैधता की समीक्षा करने का प्रावधान नहीं था। यह देखा गया कि बैंक गारंटी (01310100003179) 30 सितम्बर 2017 को समाप्त हो गई थी, लेकिन 36 दिनों बाद इसे 6 नवम्बर 2017 को नवीनीकृत किया गया।

- एसएपी प्रणाली में अनुबंध समझौते में निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा जमा (एसडी) प्राप्त कर ली गई थी, की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था।

- विक्रेता की बयाना जमा राशि को सुरक्षा जमा में परिवर्तन करने पर प्रतिबंध का एसएपी– ईआरपी प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं था कि अग्रिम सुरक्षा जमा की वसूली किए बिना कोई चल देयक पास नहीं किया जाए।

एसएपी–ईआरपी प्रणाली में उपरोक्त कमियां मुख्य रूप से कम्पनी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रणाली को डिजाईन और कार्यान्वित करने में विफलता के कारण थी। यहाँ उचित कार्य प्रवाह मॉड्यूल के बिना मैन्युअल प्रणाली को लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एसएपी–ईआरपी प्रणाली में वे ही लेन–देन प्रदर्शित होते थे जिन्हें मैन्युअली दर्ज किया गया हो।

[72] मुख्य अभियंता इस प्रभाग का प्रमुख है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के लिए निकट भविष्य में उपयुक्त कार्य प्रवाह मॉडयूल विकसित किया जायेगा।

अनुशंसाः

कम्पनी को एसएपी–ईआरपी प्रणाली के माध्यम से पूर्व क्रियान्वयन गतिविधियों, परियोजना के क्रियान्वयन, नियमों और शर्तों के अनुपालन से संबंधित अपने आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

- कम्पनी ने डीपीआर की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए भूमि की प्रकृति का आंकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया या भूमि के राजस्व अभिलेखों की जाँच नहीं की इसके कारण कम्पनी द्वारा अधिग्रहित कुल 1,728.73 एकड़ भूमि में से केवल 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) बंजर भूमि थी और शेष 1,444.96 एकड़ (83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। इसके परिणामस्वरूप 15 पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) मामलें, भू–विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, कामरोको, तालाबंदी जैसी घटनायें हुई जिससे परियोजना के कार्य में रूकावटें आई।

- बीटीजी और बीओपी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंधित मूल्य का 95/90 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,600.42 करोड़ का अग्रिम भुगतान आपूर्ति को निर्माण कार्यों के साथ बिना लिंक किये किया गया था जिससे ठेकेदारों ने निर्माण कार्य पूरा करने में बहुत कम रूचि दिखाई जिसके परिणामस्वरूप कंडेनसर इरेक्सन, टीजी इरेक्सन, स्टीम ब्लोइंग गतिविधि, सीएचपी, एएचपी इत्यादि को पूर्ण करने में विलंब हुआ, निर्धारित तिथि तक केवल 36.82 प्रतिशत/40.37 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हुआ था।

- एबीवीटीपीएस की इकाई–1 और इकाई–2 को 30 सितम्बर 2012 और 30 नवम्बर 2012 तक पूरा किया जाना था, यद्यपि अनुबंध के क्रियान्वयन, सामग्री की आपूर्ति, बीटीजी सिविल कार्य प्रदान करने और पूर्ण करने तथा बीओपी कार्य पूर्ण करने में विलंब के कारण यह क्रमशः 42 और 44 महीने के विलंब के साथ 31 मार्च 2016 और 31 जुलाई 2016 को पूरा किया गया।

- संयंत्र के चालू होने में विलंब होने के कारण 16,440.07 मिलियन यूनिट की संभावित उत्पादन हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 4,438.82 करोड़ था, कम्पनी पीएफसी ऋण पर मिलने वाली ₹ 17.95 करोड़ की ब्याज की छूट से वंचित हो गई और ऋण पर निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, बीटीजी और बीओपी कार्य की लागत, भूमि अधिग्रहण की लागत और पुनर्वास और पुनर्स्थापन व्यय में वृद्धि के कारण ₹ 3,772.67 करोड़ की लागत अधिवृद्धि हुई।

- कम्पनी द्वारा अनुबंधों को समाप्त नहीं करने के कारण वह चूककर्ता ठेकेदारों से ₹ 339.31 करोड़ की परिसमापन क्षति की वसूली नहीं कर सकी।

- विद्युत संयंत्र की दोनों इकाइयों के चालू होने के बाद भी कम्पनी कम से कम 850 मेगावाट (85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर) प्रति घंटा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही, यह केवल 575 मेगावाट प्रति घंटा का ही उत्पादन कर सकी। तदानुसार, कम्पनी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और 6,345.53 मिलियन यूनिट के विद्युत उत्पादन की कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था। खराब परिचालनात्मक निष्पादन के मुख्य कारणों में दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, स्पेयर जीटी की अनुपलब्धता और निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग के कारण आऊटेज की उच्च दर थी, साथ–साथ सीएसईआरसी मानदंडों के विरूद्ध

ईंधन, ऑग्जलरी खपत और कोयले की अधिक खपत जिसके कारण ₹ 85.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- पर्यावरण अधिनियमों, विनियमों और मानदंडों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट स्टेक उत्सर्जन स्तर, ध्वनि स्तर और ऐश के निपटान संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

- पर्याप्त जनशक्ति होने के बाद भी, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र की कमी रही जिसके कारण कार्य नियमावली तैयार नहीं की जा सकी, ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित नहीं हो पाई, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी रही, संयंत्र का बीमा नहीं कराया जा सका और एसएपी–ईआरपी प्रणाली में भी कमी पाई गई।